पंजीयन संख्या : 68939/98

ज्ञान तत्व

विशेषांक

NOV 2025
अंक - 22

सत्यता एवं निष्पक्षता का निर्भीक पाक्षिक

484

विकल्प पथ 5

लोक स्वराज की ओर एक वैकल्पिक कदम: श्रद्धेय बजरंग मुनि जी की नई शासन-परिकल्पना 19

जन्मदिन पर विशेष 25 दिसम्बर

ज्ञान तत्त्व पाक्षिक

प्रकाशन की तिथि - 30-11-2025 पोस्ट की तिथि - 15-11-2025

हमारी संस्थाएं एवं कार्य

MARGDARSHAK
मार्गदर्शक
"शराफत से समझदारी की ओर"

"हम समाज विज्ञान पर वैश्विक शोध कर ऐसे निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं जो व्यवहारिक भी हों और समाज के लिए भरोसेमंद भी।"

GYANAYAGYA
ज्ञानयज्ञ परिवार
वैचारिक संतुलनवादी हिंदुत्व की प्रयोगशाला

"ज्ञानयज्ञ परिवार विचार और भावना के संतुलन के साथ सत्य और अहिंसा पर आधारित सामाजिक परिवर्तन की दिशा तय करता है।"

कार्यक्रम

"चर्चा कार्यक्रम"

ज्ञान चर्चा-प्रतिदिन शाम 8:00 बजे से 9:00 बजे तक किसी एक पूर्व घोषित विषय पर स्वतंत्र वेबिनार जूम ID 83288549180 और पासवर्ड 12345 है।

"महायज्ञ"

महायज्ञ - वर्ष में एक बार या दो बार बड़े सामुहिक यज्ञ का आयोजन।

"संविधान सभा"

ऐसे न्यूनतम पाँच सौ लोगों की टीम तैयार करना जो समाज विज्ञान पर रिसर्च करने की क्षमता रखते हैं।

"मार्गदर्शक मण्डल"

ऐसे न्यूनतम पाँच सौ लोगों की टीम तैयार करना जो समाज विज्ञान पर रिसर्च करने की क्षमता रखते हैं।

"ज्ञान केन्द्र"

"वैचारिक आधार पर सत्य और अहिंसा का मार्ग मजबूत करते हुए, भावना और बुद्धि के संतुलन के लिए देशभर में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। समाज सर्वोच्च का भाव स्थापित करना और इस प्रयास को विचार-समन्वय व परिवर्तन के एक तीर्थ के रूप में विकसित करना हमारा उद्देश्य है।"

"मार्गदर्शक प्रकाशन"

"समाजशास्त्र और भारतीय सामाजिक दर्शन से जुड़े गंभीर विचार साहित्य का प्रकाशन करना और उन्हें बेहद कम मूल्य पर उपलब्ध कराना, ताकि ये पुस्तकें वैश्विक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें।"

सिंहावलोकन

4 **ज्ञान तत्त्व समाचार वेब पोर्टल**

14 **नई समाज व्यवस्था**

1. नई समाज-व्यवस्था : विचार और क्रियान्वयन का संतुलित मॉडल

6. माँ संस्थान का मिशन : राजनीति से परे एक सशक्त समाज-व्यवस्था का निर्माण

मुनि जी जी जन्मदिन पर

18 **मेरे अंतर्मन के परिवर्तक : बजरंग मुनि** विपिन तिवारी

बजरंग लाल उर्फ बजरंग मुनि से मेरा परिचय सौभाग्य है बहादुर सिंह यादव

21 **मार्गदर्शक प्रकाशन**

23 **जूम चर्चा कार्यक्रम से**

साथियों की कलम से

24 **एक सामाजिक राजनीतिक विमर्श-** नरेन्द्र सिंह

25 **विचार से व्यवस्था तक: श्रद्धेय बजरंग मुनि जी का जीवन और चिंतन** बृजेश रॉय

26 **आमंत्रण पत्र ज्ञानोत्सव 2026**

प्रधान संपादक
बजरंग लाल अग्रवाल
(बजरंग मुनि)

संपादक मण्डल
नरेन्द्र सिंह
संजय तिवारी
विपुल आदर्श

सहयोगी संपादक
ज्ञानेन्द्र आर्य

सदस्यता नियमन
संजय गुप्ता 8726694777
कुशल दुबे 7999934238

सज्जा
लाल बाबू रवि

वितरण एवं मुद्रण सहयोग
रबीन्द्र विश्वास

ज्ञान केन्द्र विचार, समन्वय और परिवर्तन के तीर्थ

ज्ञानतत्व समाचार: रामानुजगंज का नया स्वतंत्र न्यूज़ पोर्टल 25 दिसंबर 2025 को लॉन्च

रामानुजगंज के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। स्थानीय समाचारों, विचारशील रिपोर्टों और सत्य आधारित पत्रकारिता को एक नए स्तर पर ले जाने के उद्देश्य से ज्ञानतत्त्व समाचार नामक स्वतंत्र न्यूज़ पोर्टल 25 दिसंबर 2025 को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा।

"सत्यता और निष्पक्षता का आपका दैनिक स्रोत"

यह पहचान ज्ञानतत्त्व समाचार को स्पष्ट रूप से एक जिम्मेदार, संतुलित और विश्वसनीय समाचार मंच के रूप में स्थापित करती है।

ज्ञानतत्व दैनिक का उद्देश्य है कि हर नागरिक तक अपने क्षेत्र की वास्तविक, त्वरित और पुष्ट सूचना पहुँचे। स्थानीय प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, पंचायत व्यवस्था से जुड़ी खबरें स्पष्ट, सरल और प्रमाणित रूप में उपलब्ध कराई जाएँगी। पोर्टल पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण सूचनाएँ भी नियमित रूप से प्रकाशित की जाएँगी।

ज्ञानतत्व समाचार की प्रमुख विशेषताएँ

- स्थानीय और प्रामाणिक ग्राउंड रिपोर्ट
- ग्रामीण और शहरी समस्याओं पर विशेष कवरेज
- प्रशासनिक निर्णयों और सरकारी योजनाओं की स्पष्ट जानकारी
- राज्य और राष्ट्रीय समाचारों का सुव्यवस्थित संकलन
- वीडियो रिपोर्ट, फोटो स्टोरी और सीधी जमीनी कवरेज
- सरल भाषा, साफ प्रस्तुति और तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग

ज्ञानतत्त्व समाचार केवल समाचार प्रस्तुत करने वाला मंच नहीं है। यह संवाद और जन-सरोकार का एक खुला माध्यम होगा, जहाँ पाठक सीधे अपने विचार और समस्याएँ भेजकर स्थानीय पत्रकारिता को मजबूत बना सकते हैं।

ज्ञानतत्त्व पाक्षिक – विचार प्रधान परंपरा की निरंतरता

यह पोर्टल हमारी विद्यमान पत्रिका "ज्ञानतत्त्व पाक्षिक" का डिजिटल विस्तार भी है।

ज्ञानतत्त्व पाक्षिक अपनी प्रतिबद्धता **"सत्यता और निष्पक्षता का निर्भीक पाक्षिक"** के साथ लंबे समय से विचारप्रधान और चिंतनशील लेखों के लिए जानी जाती है।

ज्ञानतत्त्व समाचार उसी आदर्श को आगे बढ़ाएगा, लेकिन दैनिक स्वरूप में।

जहाँ पाक्षिक पत्रिका गहन विश्लेषण, वैचारिक लेख और विमर्श प्रस्तुत करती है, वहीं दैनिक पोर्टल उन विचारों की जमीन पर चल रही घटनाओं, समस्याओं और परिवर्तनों को तत्काल आप तक पहुँचाएगा।

दोनों मिलकर एक ऐसी सूचना-श्रृंखला बनाएँगे जो

- विचार भी दे
- सूचना भी दे और
- जन-सरोकार को मजबूत भी करे

लॉन्चिंग तिथि – 25 दिसंबर 2025

इस दिन ज्ञानतत्व समाचार अपनी वेबसाइट और व्हाट्सऐप चैनल दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा।

पहले ही दिन कई महत्वपूर्ण रिपोर्टें, स्थानीय समाचार और विश्लेषणात्मक सामग्री प्रकाशित की जाएगी। यह लॉन्च रामानुजगंज की डिजिटल पत्रकारिता में एक नया अध्याय जोड़ेगा।

पाठकों से आग्रह

ज्ञानतत्त्व समाचार एक खुला संवाद मंच है।
आप अपनी खबर, सुझाव, समस्याएँ, फोटो या वीडियो पोर्टल की टीम तक भेजकर इस प्रयास को और सशक्त बना सकते हैं।

सम्पर्क सूत्र

अजय कुमार तूती : 7898960700

राम राज साहू : 8889347324

सुनील बिश्वास : 6263440274

विकल्प पथ

बजरंग मुनि
प्रधान संपादक

सृष्टि को बने चाहे हजारों वर्ष हुए हों अथवा लाखों अथवा करोड़ों, जब से भी यह सृष्टि बनी है तब से दो प्रवृत्तियों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा है। एक को कहते हैं सामाजिक और दूसरी को समाज विरोधी। यह युद्ध लगातार चलता आ रहा है, अब भी चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। न कभी सामाजिक प्रवृत्ति के लोग समाप्त हुए हैं न ही समाज विरोधी प्रवृत्ति के लोग। किन्तु कई बार सामाजिक प्रवृत्ति के लोग मजबूत हो जाते हैं तथा दुष्ट लोग जंगलों में छिपने को मजबूर हो जाते हैं तथा कई बार दुष्ट लोग मजबूत हो जाते हैं एवं सामाजिक लोग गुलामों की तरह जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। प्रारंभिक काल में इस संघर्ष को देवासुर संग्राम कहते थे, रामायण काल में मनुष्य और राक्षस की लड़ाई तथा अब सामाजिक और समाज विरोधी के बीच का संघर्ष कहते हैं। शब्द भले ही बदल गए हों किन्तु अर्थ कभी नहीं बदला है।

सामान्यतया सामाजिक लोगों की संख्या लगभग एक प्रतिशत तथा समाज विरोधियों की संख्या भी लगभग उतनी ही हुआ करती है। विशेष काल में यह संख्या कुछ कम ज्यादा होती रहती है। बीच के नब्बे से लेकर अठान्नवे प्रतिशत लोगों को असंबद्ध या तटस्थ माना जाता है जिन्हें हम असामाजिक कहते हैं। एक एक्सीडेंट ट्रेन के कराहते हुए यात्रियों की

1. सेवा सहायता करने वाले सामाजिक, शरीफ़ वयस्क,
2. यात्रियों को कराहते हुए देख सुनकर भी चुप रहने वाले तटस्थ असामाजिक वयस्क, तथा
3. उनका सामान लूट ले जाने वाले व्यक्ति समाज विरोधी, अपराधी माने जाते हैं।

जो तटस्थ या असामाजिक होते हैं वे अपराधी बिलकुल नहीं होते। ये पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। न किसी की सहायता करते हैं न छीनते हैं। अपना खाली समय ताश खेलने, क्रिकेट देखने, भजन गाने या परिवार में व्यतीत करते हैं। ऐसे तटस्थ लोग अस्थिर हुआ करते हैं। यदि शरीफ़ लोग मजबूत होते हैं तो ये लोग उनके सहयोगी हो जाते हैं और यदि दुष्ट मजबूत होते हैं तो ये उनकी चापलूसी किया करते हैं।

जब शरीफ़ लोग मजबूत होते हैं तथा दुष्ट पराजित हो जाते हैं उसे सामान्य काल कहते हैं किन्तु जब शरीफ़ लोग पराजित और दुष्ट लोग शक्तिशाली होते हैं उसे आपत्तिकाल कहते हैं। सामान्य काल में प्राथमिकताएँ अलग और आपत्तिकाल में अलग हुआ करती हैं। सामान्य काल में ऋषि मुनि, आचार्य और विचारकों का कार्य है आध्यात्म, पूजापाठ, चरित्र निर्माण, नैतिकता का प्रसार-प्रचार, योगासन आदि सामाजिक कार्य तथा शासन की प्राथमिकता होती है भौतिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, सड़क

"...आदिकाल से लेकर आज तक समाज में असली संघर्ष सामाजिक और समाज विरोधी प्रवृत्तियों के बीच ही चलता रहा है, नाम बदले हैं लेकिन अर्थ कभी नहीं बदले...."

पर्यावरण, सड़क, बिजली आदि अनेक जन सुविधा के कार्य।

किन्तु जब आपत्तिकाल होता है, शरीफ़ संकट में आ जाती है, जब शासन की संपूर्ण प्राथमिकताएँ बदलकर अपराध नियंत्रण में आकर सिमट जाती हैं तथा ऋषि मुनि, आचार्य एवं विचारक भी अपने सामान्य कार्य छोड़कर अपराध नियंत्रण में शासन की सहायता में आ जाते हैं। रामायण काल में दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की शक्ति के समक्ष सामाजिक शक्तियाँ पराजित हो गई थीं। आचार्यों, विद्वानों, विचारकों तथा ऋषि मुनियों ने स्थिति का ठीक-ठीक आकलन करके आपातकालीन प्राथमिकताएँ निर्धारित कर दीं।

धर्म का अर्थ बदल गया। आश्रम हथियार बनाने लगे तथा आश्रमों में भी मानवता के स्थान पर सुरक्षा की योजनाएँ बनने लगीं। भगवान राम जिस आश्रम में गए वहां से उन्हें अस्त्र भी दिए गए और अस्त्र चलाने की ट्रेनिंग भी। जिस भगवान राम ने यज्ञ को श्रेष्ठतम कार्य कहकर विश्वामित्र के यज्ञ की सुरक्षा की थी, उन्हीं ने मेधनाथ के यज्ञ का यह कहकर विध्वंस कर दिया कि आपातकाल में यज्ञ महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि महत्वपूर्ण होती है यज्ञ से प्राप्त शक्ति। यदि उससे सामाजिक शक्ति मजबूत हो तो ऐसे यज्ञ की सुरक्षा करनी चाहिए और यदि समाज विरोधी शक्तियाँ मजबूत होती हों तो ऐसे यज्ञ का विध्वंस करना ही धर्म है।

महाभारत काल में भी कृष्ण ने आपातकालीन परिभाषाएँ लागू कीं। आपातकाल में शरीफ़ घातक होते है। शराफ़त छोड़कर समझदारी से काम लेना ही उचित होता है। भगवान कृष्ण ने यदि युधिष्ठिर और अर्जुन को शरीफ़ के स्थान पर समझदारी से काम लेने हेतु उपदेश तथा दबाव नहीं दिया होता तो ये सब शरीफ़ मारे जाते। शरीफ़ भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, अंत तक राजगद्दी के प्रति वफादार बने रहे। दूसरी ओर कृष्ण ने परिस्थिति अनुसार अपनी

"...अपराध इतने तेजी से बढ़े हैं कि शासन, कानून और समाज लगभग असहाय दिखते हैं, लेकिन डर की बात यह है कि इन्हें रोकने की इच्छा शक्ति भी नदारद दिखाई देती है..."

का अर्थ बदलकर उसका उपयोग किया।

आपातकाल में सत्य, धर्म, मानवता, शरीफ़ आदि शब्दों का पूरा का पूरा अर्थ बदल जाता है। यही राम ने किया और यही कृष्ण ने किया और यही आज भी होना चाहिए। शरीफ़ और समझदारी में बहुत फर्क होता है। शरीफ़ का अर्थ होता है कर्तव्य करना, अधिकारों की चिंता नहीं करना। समझदारी का अर्थ होता है कर्तव्य-अधिकार दोनों की चिंता करना। शरीफ़ व्यक्ति को निरभिमानी होना चाहिए और समझदारी में स्वाभिमानी। शराफ़त में निर्णय भावना प्रधान तथा हृदय महत्वपूर्ण होता है, समझदारी में निर्णय विवेक प्रधान तथा मस्तिष्क महत्वपूर्ण होता है।

सामान्यकाल में शराफ़त गुण माना जाता है और आपत्तिकाल में घातक एवं मूर्खता। सामान्यकाल में असंबद्ध, असामाजिक दो नम्बर के लोगों से दूरी बनाकर रखने की आवश्यकता है। इस समय उन्हें नैतिक शिक्षा, हृदय परिवर्तन आदि प्रयत्नों के माध्यम से शराफ़त की ओर मोड़ने की आवश्यकता होती है। आपत्तिकाल में इन दो नम्बर वालों से दूरी समाप्त करने की आवश्यकता होती है। इस समय न नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है, न ही चरित्र निर्माण की। यह समय है असंबद्ध, अनैतिक, असामाजिक लोगों से सामंजस्य का।

सामान्यकाल में ध्रुवीकरण सामाजिक होता है अर्थात् एक नम्बर विरुद्ध अन्य। आपत्तिकाल में ध्रुवीकरण समाज विरोधी अर्थात् तीन नम्बर विरुद्ध अन्य का होना चाहिए। इसका स्पष्ट अर्थ है कि आपत्तिकाल में दो नम्बर के लोगों से शासन को तो कोई छेड़छाड़ करनी ही नहीं चाहिए, समाज को भी मित्रवत व्यवहार बनाकर रखना चाहिए। यदि आपत्तिकाल में शासन या समाज चरित्र निर्माण, नैतिकता, आध्यात्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आबादी नियंत्रण, भौतिक विकास आदि को प्राथमिकता देता है तो यही माना जाएगा कि वह

1. परिस्थितियों को आपत्तिकाल के समान महसूस नहीं कर रहा है, अथवा
2. वह इतना नासमझ है कि स्वयं को उसके अनुरूप बदल नहीं पा रहा है, अथवा
3. वह इतना धूर्त है कि सबकुछ समझते हुए भी नासमझ बनकर समाज को धोखा दे रहा है।

पांच प्रकार के कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं:

1. चोरी, डकैती, लूट
2. बलात्कार
3. मिलावट, कमतौल
4. जालसाजी, धोखाधड़ी
5. दादागिरी, गुंडागर्दी, आतंक

ये सभी कार्य तीन नम्बर (समाज विरोधी) में शामिल हैं। इनके अतिरिक्त अन्य गलत कार्य अनैतिक, असामाजिक, गैरकानूनी परंतु अपराध नहीं कहे जा सकते। इनमें जुआ, शराब, गांजा, दहेज, ब्लैक, तस्करी, छुआछूत, हरिजन, आदिवासी, महिला, पिछड़ा वर्ग कानून उल्लंघन, शोषण, वन अपराध आदि हजारों कानूनों का उल्लंघन शामिल है।

पांचों अपराध पिछले पचास वर्षों में निरंतर बढ़ रहे हैं। सामान्यतया इनका प्रतिशत समाज में एक से कम रहता है तथा अधिकतम पांच तक हो सकता है। तीन या चार अपराधी ही पचन्नवे लोगों को भयग्रस्त करके गुलाम बनाने के लिए पर्याप्त माने जाते हैं। वर्तमान में इन अपराधियों की संख्या तीन या चार प्रतिशत के आसपास तक आ गई है। चोरी, डकैती, लूट की स्थिति पूरे भारत में प्रत्यक्ष ही है। इसने अब व्यवसाय का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। बिहार और उत्तरप्रदेश से निकलकर अब यह व्यवसाय अन्य प्रान्तों की ओर भी तेजी से बढ़ रहा है। रेल यात्रा भी सुरक्षित नहीं है।

झारखंड के एक थानेदार से बस लूट के अपराधियों को न पकड़ पाने के संबंध में पूछने पर मुझे बताया कि हम अपराधी को पकड़कर देते हैं किन्तु गवाह गवाही नहीं देता, वकील पैसों के लिए उसकी सहायता करता है, राजनैतिक दल वोट बैंक समझकर मदद करता है। अपराधी किसी न किसी धार्मिक, राजनैतिक, जातीय या व्यावसायिक संगठन से जुड़ जाता है। न्यायाधीशों का भी वर्तमान आचरण पहले जैसा नहीं रहा। तब क्या ऐसे वातावरण में थानेदार ही ऐसा मूर्ख है जो वह मेहनत करके शिकार करे और वकील, नेता, जज आदि समाज के अनेक अंग मिलकर खाएँ। हम स्वयं के उपयोग तक ही शिकार करते हैं। और पूछने पर उसने सहृदयता से कहा कि जब आप लोग यह विश्वास कर लें कि सामाजिक परिवेश इस योग्य बन रहा है तो यह थानेदार भी आपसे बाहर नहीं रहेगा। उसके तर्कों के समक्ष मैं निरुत्तर था।

बलात्कार और महिला अपहरण में बहुत तीव्र वृद्धि भी पूरी तरह राष्ट्रव्यापी बीमारी का स्वरूप ले चुकी है। अनेक बलात्कार तो अब थाने तक भी नहीं पहुंचते। मिलावट पूरे भारत में स्वाभाविक स्वीकृति बन चुकी है। तीन नम्बर का अपराध होते हुए भी मिलावट समाज में गंभीर अपराध के समान नहीं मानी जा रही है। कोई भी वस्तु शुद्ध मिल जाएगी यह अपवाद स्वरूप ही है। शुद्ध वस्तु जब बाजार में लोकप्रिय हो जाती है तो या तो बाद में वही कम्पनी मिलावट कर देती है या उस वस्तु का नकली ब्रांड बाजार में इस तरह छा जाता है कि मिलावटी सामान की पहचान ही समाप्त हो जाती है। अब तो आई.एस.आई या एगमार्का की भी पहचान विश्वसनीय नहीं रह गई है।

जालसाज़ी भी लगातार तीव्र गति से बढ़ी है। व्यावसायिक जालसाज़ी तो आम बात पहले से ही है किन्तु अब तो नोट, बैंक, रेलवे टिकट, डाक टिकट, दवा आदि महत्वपूर्ण स्थानों पर भी जालसाज़ी तेजी से प्रविष्ट हो गई

"...आपातकाल में शरीफ होना अक्सर घातक साबित होता है, जबकि समझदारी से काम लेना ही असली धर्म कहा गया है, यह बदलाव राम और कृष्ण दोनों ने दिखाया..."

है। अविश्वास इतना गहरा हो गया है कि लोग असली चीज खरीदने से भी डर रहे हैं कि कहीं अधिक मूल्य के बाद भी वस्तु नकली न हो जाए।

आतंकवाद पूरे भारत में अनेक रूपों में आ चुका है। विदेशी आतंकवाद से सीमावर्ती क्षेत्र पूरी तरह अशांत हैं। इस्लाम पूरी तरह आतंकवाद के शरणागत हो चुका है। कुछ हिन्दू संगठन धीरे-धीरे हिन्दुओं को भी आतंकवाद की तरफ ढकेल रहे हैं। उपरोक्त पांचों अपराध पिछले सत्तर वर्षों से निरंतर बढ़े हैं तथा भविष्य में भी इन्हें रोकने की न तो शासन के पास कोई योजना दिखती है न ही इच्छा शक्ति।

भारत में अपराधों में तो लगातार वृद्धि हुई ही है, छह प्रकार की समस्याएँ भी निरंतर वृद्धि पर हैं। इनमें शामिल हैं:

1. भ्रष्टाचार
2. साम्प्रदायिकता
3. जातिवाद
4. चरित्र पतन
5. आर्थिक असमानता
6. श्रमशोषण

भ्रष्टाचार की व्यापकता स्वयं सिद्ध है। इस पर कलम चलाकर प्रमाणित करने का प्रयास निरर्थक है। साम्प्रदायिकता भी निरंतर बढ़ रही है। धर्म, गुणात्मक सुधार की अपेक्षा संख्या वृद्धि को महत्वपूर्ण समझने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी सत्तर वर्षों से मुस्लिम तुष्टीकरण तथा भारतीय जनता पार्टी का संघ समर्थित खेमा, जो निर्णायक रूप से मजबूत है, हिन्दू तुष्टीकरण को ही आधार बनाकर चल रहा है। जातिवाद भी लगातार पैर पसार रहा है। जातीय संगठन कुकुरमुत्ते की तरह पैदा हो रहे हैं। भारतीय संविधान में न चाहते हुए भी मजबूरी में अल्पकाल के लिए जिस जातिवाद से आंशिक समझौता किया था उसे सत्ता संघर्ष के उद्देश्य पूर्ति के लिए खाद-पानी मानकर निरंतर बढ़ाया जा रहा है।

पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक के चरित्र में गिरावट आई है तथा आ रही है। यदि हम सन् पचास में किसी का चरित्र सौ प्रतिशत था तो उसका घटकर अस्सी हो चुका है, साठ प्रतिशत वालों का तीस और तीस प्रतिशत वालों का शून्य। यदि किसी का चरित्र उस समय दस प्रतिशत था तो उसका चरित्र शून्य से भी घटकर आपराधिक हो चुका है।

आर्थिक असमानता तीव्र गति से बढ़ी है। गरीबी तो सत्तर वर्षों में घटी है किन्तु आर्थिक सम्पन्नता गरीबों की पैदल की चाल से बढ़ी है, तो धनवानों की हवाई जहाज की रफ्तार से। श्रम का बुद्धिजीवियों द्वारा निरंतर योजनाबद्ध तरीके से शोषण जारी है। सत्तर वर्षों में श्रम का मूल्य करीब ढाई गुना बढ़ा है जबकि बुद्धि का मूल्य दस से बीस गुना तक बढ़ गया है।

बुद्धिजीवियों ने श्रम का शोषण करने के उद्देश्य से शिक्षित बेरोजगारी नामक एक नया शब्द बनाकर नया वर्ग पैदा कर लिया। अब उन्हें शिक्षित बेरोजगारी के नाम पर श्रम शोषण का वैधानिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त हो गया है। इस तरह भारत में छह प्रकार की कृत्रिम समस्याएँ सत्तर वर्षों में निरंतर बढ़ी हैं।

पांच प्रकार की अपराधों तथा छह प्रकार की समस्याओं का लगातार बढ़ते जाना यह प्रमाणित करता है कि वर्तमान समय या तो आपातकाल है अथवा आपातकाल के निकट है। सम्पूर्ण प्रशासन को तो पूरी तरह इन अपराधों तथा समस्याओं के निराकरण में लग ही जाना चाहिए, विचारकों, समाजशास्त्रियों, गुरुओं तथा आश्रमों को भी अब आपातकालीन प्राथमिकताओं पर काम शुरू कर देना चाहिए। समाज का स्वरूप तो बिखर चुका है। सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक संस्थाएँ ऐसी विकट परिस्थिति में भी नैतिकता, परलोक सुधार, चरित्र निर्माण, व्यसन मुक्ति से ऊपर उठने के लिए तैयार नहीं हैं। इन संस्थाओं का नेतृत्व या तो धूर्तों के हाथ में है अथवा ऐसे शरीफ लोगों के हाथ में जो समझदारी की आवश्यकता ही महसूस नहीं करते।

ये शरीफ लोग यज्ञ मंडप में आग लग जाने के बाद भी यज्ञ के स्थान पर आग बुझाने को प्राथमिकता देने के लिए तैयार नहीं। आपातकाल में भी भीष्म, अर्जुन या युधिष्ठिर के समान बात करते हैं, राम और कृष्ण के समान नहीं। ये राम और कृष्ण के अभियान में सबसे बड़ी बाधा हैं। स्वामी दयानंद ने सबसे पहले स्वतंत्रता को जन्मसिद्ध अधिकार घोषित किया था। महात्मा गांधी ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति स्वराज्य के लिए लगा दी थी। महात्मा गांधी को विदेशी गुलामी से मुक्ति भी मिली और वे शेष समय आंतरिक प्रशासनिक गुलामी से मुक्ति में लगाने वाले थे।

किन्तु इनके प्रमुख समर्थक आर्य समाज और सर्वोदय इस आपातकाल की स्थिति में भी व्यसनमुक्ति, स्वदेशी शिक्षा और हिन्दी की रट से आगे उठने की नहीं सोचते। गायत्री परिवार से भी जो कुछ उम्मीद थी वह भी चरित्र निर्माण तक आकर सिमट गई है। कोई भी ''परित्राणाय साधूनाम्, विनाशाय च दुष्कृताम्'' की लीक पर चलना नहीं चाहता।

प्रशासन तो सुरक्षा और न्याय के निमित्त बनाया ही गया था। किन्तु दुर्भाग्य है कि सत्तर वर्षों में किसी प्रधान मंत्री ने सुरक्षा और न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी। सत्तर वर्षों में एकमात्र विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने बहुत हिम्मत करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते समय डकैती उन्मूलन को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता घोषित किया था। कुछ ही महीनों में उनके न्यायधीश भाई की हत्या तथा मुख्यमंत्री पद त्याग ने उन्हें ऐसी घोषणा के खतरे बता दिए।

अब जब वे प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गरीबी उन्मूलन, भ्रष्टाचार नियंत्रण और अशिक्षा उन्मूलन के नारे दिए किन्तु डकैती और आतंकवाद उन्मूलन को भूल जाना ही उचित

समझा। वर्तमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद और आतंकवाद उन्मूलन से अपना कार्य शुरू किया लेकिन वे भी अब नशा मुक्ति की दिशा में जाते दिख रहे हैं। विपक्षी दल तो अपराधियों की मदद लेना ही अपना अहोभाग्य समझते हैं।

आज सम्पूर्ण भारत में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो अपराध नियंत्रण के विरुद्ध प्राथमिकता की आवाज लगा सके। भारत के एक राष्ट्रपति के. आर. नारायणन जी ने राष्ट्रपति रहते हुए यह बचकानी बात कही कि भारत के कानून या यहाँ की व्यवस्था दोषपूर्ण नहीं बल्कि दोष यह है कि आम लोग उनका ठीक से पालन नहीं करते। ऐसे बचकानी बातें भारत के आम शिक्षित लोग करते रहते हैं।

सोचने की बात है कि एक पागलखाने का डॉक्टर यह तर्क दे कि रोगी उसकी बात ठीक से समझता ही नहीं या उसके कहे अनुसार आचरण नहीं करता अथवा एक ट्रैफिक का सिपाही कहे कि उसके इशारे के बाद लोग दायें-बायें चलते हैं तो वह क्या करे? यदि आम लोग कानूनों का ठीक-ठीक पालन ही करते तो फिर किसी राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री की आवश्यकता ही क्या थी? यदि देश में कोई सरकार है तो यह स्वयं सिद्ध है कि कुछ कानून तोड़ने वालों को उनका पालन करने हेतु मजबूर करने के उद्देश्य से ही उसकी नियुक्ति और स्थापना हुई है।

लोकतंत्र में कोई भी सरकार जब न्याय और सुरक्षा देने में विफल हो जाती है अथवा वह न्याय और सुरक्षा से कतराती है तो उसे अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए दस प्रकार के नाटक करने पड़ते हैं।

नाटक के दस सूत्र इस प्रकार हैं:

1. समाज को कभी संगठित न होने देना। समाज को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, उम्र, लिंग तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गों में बांटकर वर्ग-विद्वेष पैदा करना तथा उक्त विद्वेष को वर्ग संघर्ष तक ले जाना। धर्म के आधार पर वर्ग संघर्ष पूर्णता की ओर है। जाति के आधार पर भी लगातार वही दिशा है। भाषा का आधार चरम पर पहुँच कर अब कमजोर पड़ रहा है। क्षेत्रीयता का भी वही हाल है। उम्र का संघर्ष अपने प्रारंभिक चरम में है। गरीब-अमीर के बीच का संघर्ष भी चरम पर है।

किन्तु ये सारे संघर्ष अब तक समाज में विघटन कर रहे थे। इनसे परिवारों में विघटन नहीं हुआ था। अब सातवें विद्वेष की जो नींव पड़ी है, वह अत्यन्त ही घातक है। परिवार में पुरुष को अत्याचारी और शोषक बताकर महिलाओं में शोषित होने का जो विद्वेष पैदा किया जा रहा है वह अत्यन्त ही हानिकारक परिणाम देगा।

आप गंभीरता से सोचिए कि यदि पति-पत्नि के पारिवारिक जीवन में कानून और अविश्वास का प्रवेश हुआ तो कैसे संतान पैदा होगी, कैसे उनका पालन-पोषण होगा? महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को दूर करने के नाम पर परिवारों के बीच अविश्वास समाज के लिए गंभीर समस्याएँ पैदा करेगा। भारत के राजनेता महिलाओं का एक पृथक वर्ग बनाकर वर्ग-विद्वेष पैदा करने के लिए इतने उतावले हैं कि उन्होंने एक बार संसद में इस बात पर ही विचार किया कि क्या परिवार में महिलाओं को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए।

अब तो सभी राजनीतिक दल युवा सशक्तिकरण के नाम पर युवा और वृद्धों के बीच टकराव के भी खतरनाक प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार हमारी सरकारें समाज को वर्गों में बांटकर वर्ग-विद्वेष को वर्ग संघर्ष तक ले जाने का कार्य पूरी ईमानदारी से सफलता पूर्वक कर रही हैं।

2. समाज में समस्याएँ पैदा करना और उनका समाधान करना। इस सूत्र के अनुसार समस्याओं का ऐसा समाधान खोजा और किया जाए जो किसी एक नई समस्या को जन्म दे। उक्त नई समस्या का भी ऐसा ही समाधान हो जो एक और नई समस्या को उत्पन्न करे। न कभी समस्याएँ कम हों न उनका समाधान हो।

3. आम नागरिकों को अक्षम, अयोग्य और अशिक्षित बताकर उन्हें इस सीमा तक शासन के मुखापेक्षी बना देना कि उनकी सम्पूर्ण मानसिकता गुलामों के समान हो जाए। स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेज यही तर्क देते थे कि भारत के आम लोग अक्षम, अनपढ़ और अयोग्य हैं। ये अपना निर्णय स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए उनके हित-अहित का निर्णय करने हेतु हमारा रहना अनिवार्य है। आज के शासक भी यही कर रहे हैं।

हेल्मेट पहन कर गाड़ी चलाना, तंबाकू खाना या नहीं, किस उम्र में विवाह करना, दहेज लेना या नहीं, जैसे नितान्त व्यक्तिगत या पारिवारिक अथवा गांव-गांव संबंधित व्यवस्था में किन वस्तुओं पर कर लगे, गांव के शिक्षक के वेतन क्या हो, गांव में शराब बंदी हो या नहीं, जैसे नितान्त स्थानीय समस्याओं पर भी गांव के व्यक्ति या परिवार के स्थान पर उचित-अनुचित का निष्कर्ष भी शासन ही निकाले और कार्यान्वित भी शासन ही करे।

शासन की इस अति सक्रियता से आम नागरिकों की स्वयं की चिंतन शक्ति इतनी निष्क्रिय हो गई है कि उसे एक प्रकार की जंग लग गई। आम लोगों की शासन के निर्णय के उचित-अनुचित निष्कर्ष निकालने की क्षमता भी

खो गई। साथ ही हर कार्य शासन पर निर्भर हो जाने से गांव, परिवार और व्यक्ति की भूमिका एक ऐसे मालिक के समान हो गई जो अपने प्रत्येक कार्य के लिए अपने नौकर का गुलाम हो गया। न तो उसे अपने घर का सामान रखने का पता है न ही इसकी आवश्यकता महसूस होती है। आज भारत का आम आदमी सरकार पर इतना अधिक निर्भर हो गया है कि वह हर कार्य के लिए सरकार की तरफ देखता है तथा हर निर्णय के लिए नेताओं की तरफ।

4. अधिक से अधिक कानून बनाकर प्रत्येक नागरिक को इस प्रकार अपराध भाव से ग्रस्त करना कि कोई व्यक्ति सिर उठाकर स्वयं को एक नम्बर न कह सके। आज भारत में इतने अधिक कानून बना दिए गए हैं कि भारत का एक भी व्यक्ति स्वयं को एक नम्बर घोषित नहीं कर सकता। किसानों के लिए न्यूनतम मजदूरी के कानून, भिखमंगों के लिए भीख लाइसेंस, शिक्षकों के लिए ट्यूशन पर प्रतिबंध, राजनेताओं के चुनाव खर्च का सही हिसाब आदि कानून इस तरह बनाए गए कि इनका पालन करना संभव ही नहीं रहा।

शासन ने बड़ी चालाकी से अपराध शब्द की परिभाषा बदलकर गैरकानूनी कार्यों को भी अपराध कहना शुरू कर दिया। अब संपत्ति चोर सिर उठाकर बात करने लगा और टैक्स चोर सिर झुकाकर चलने लगा। मिलावट करने वालों की अपेक्षा अवैध शराब का व्यवसाय करने वाला अधिक शर्म महसूस करने लगा। गैरकानूनी कार्यों में अपराधी इस प्रकार छिप गए जैसे भूसे के ढेर में सुई छिप जाती है। अब भी प्रतिदिन इतने नए-नए अनावश्यक कानून बन रहे हैं कि परजीवी, छुटभैये नेता, पत्रकार या अपराधी आम मेहनत करने वाले ईमानदार दो नम्बर वालों को ब्लैकमेल करते रहते हैं।

5. शासन को समाज में अपनी भूमिका ऐसी बनाकर रखनी चाहिए जैसे बिल्लियों के बीच बन्दर। बन्दर को चाहिए कि वह अपनी सफलता के लिए तीन काम करे:

(1) बिल्लियों की रोटी कभी बराबर न होने दे
(2) छोटी रोटी वाली बिल्लियों को कभी संतुष्ट न होने दे
(3) अपनी सक्रियता निरंतर बनाए रखे।

भारत सरकार यह कार्य पूरी सफलता से कर रही है। आर्थिक असमानता कभी न घटे, बल्कि बढ़ती ही रहे—यह पचास वर्षों से हो रहा है। गरीब लोगों का अमीर लोगों के विरुद्ध असंतोष भी कम न हो। बड़े लोग गरीबों का शोषण करके ही बड़े बने हैं तथा उनके विरुद्ध योजनाएं बनाना हर गरीब का कर्तव्य है, यह बात लगातार समझाई जाती है। कुछ लोग तो यहां तक समझते हैं कि आर्थिक असमानता ही भारत की सारी समस्याओं का केंद्र है। हमें सर्वोच्च प्राथमिकता इसके समाधान को देना चाहिए। इस तरह असंतोष की आग निरंतर जलाकर रखी जा रही है। एक तरफ तो आर्थिक असमानता घटने नहीं दी जा रही है, दूसरी ओर आर्थिक असमानता घटने में निरंतर सक्रियता बनाए रखी जा रही है। हर छोटा या बड़ा नेता गरीबी दूर करने में रात-दिन लगा हुआ और परेशान दिखता है।

6. आर्थिक असमानता वृद्धि के लिए गुप्त प्रयास करना – प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आम नागरिकों का विश्वास सर्वोच्च आवश्यकता होती है। आर्थिक असमानता वृद्धि के प्रयास इस प्रकार होने चाहिए कि आम नागरिकों को इसका अहसास न हो। इस कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नीति मानी गई है: "सम्पन्नों पर प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष सुविधा; गरीबों पर अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष सुविधा।"

भारत सरकार यह काम बहुत सफलता पूर्वक कर रही है। सम्पन्न लोगों पर इनकम टैक्स नाम से प्रत्यक्ष कर लगाकर बिजली, जमीन, ब्याज उद्योग आदि पर भारी अप्रत्यक्ष छूट दी जाती है। दूसरी ओर गरीब और श्रमजीवियों के उत्पादन और उपभोग की सामान्य वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाकर प्रत्यक्ष छूट दी जाती है।

पचास वर्षों के लंबे समय में भी भारत में कपड़ा, दवा, ईंट, खपड़ा, साइकिल, घी आदि हजारों ऐसी वस्तुओं पर भारी अप्रत्यक्ष कर लगते हैं, जो मूलतः श्रम उपयोग की हैं। सरसों तेल पर कहीं 10 रुपये तो कहीं 12 रुपये प्रति लीटर का भारी कर है। साइकिल निर्माण पर 200 से 300 रुपये तक उत्पादन कर हैं।

सभी प्रकार की वनोपज के उत्पादन तथा संग्रह पर भारी कर हैं। सालबीज संग्रहकर्ता से आधा मूल्य शासन द्वारा ले लिए जाने से क्षेत्र का 80 प्रतिशत सालबीज पानी में बह जाता है, क्योंकि श्रमिक इकट्ठा ही नहीं करता। श्रमिक द्वारा इकट्ठे किए गए बीड़ी पत्ते पर भी आधा मूल्य सरकार ले लेती है। अपने खेत में अपने श्रम से पैदा की गई इमारती लकड़ी काटने के नाम पर कलेक्टर और न्यायालय उसके स्वामी की भूमिका अदा करते हैं और उस लकड़ी के खरीदने वाले से तीस प्रतिशत वाणिज्यकर शासन वसूल करता है।

मेरे अनुसंधान अनुसार सिर्फ वनोपज पर से सभी कर समाप्त कर दें तो गरीबों को कोई अतिरिक्त सुविधा देने की आवश्यकता नहीं होगी और पर्यावरण की आवश्यकता से अधिक वृक्षारोपण भी हो जाएगा। दूसरी ओर पोस्टकार्ड, मिट्टी तेल जैसी वस्तुओं पर छूट दी जाती है, जिनका श्रमिक कम और अन्य लोग अधिक उपयोग करते हैं।

सबसे खास बात यह है कि उद्योगों पर ब्याज दर कम और कृषि ऋण पर अधिक है। कृत्रिम ऊर्जा, अखबार तथा टेलीफोन पर टैक्स न लगाकर अनाज, तेल, वनोपज और साइकिल पर कर लगाया जाता है। इस विपरीत अर्थव्यवस्था के ही परिणाम स्वरूप भारत में आर्थिक असमानता में इतनी वृद्धि हुई है। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि भारत के अधिकांश राजनेता या समाजशास्त्री यह सामान्य

"...राजनैतिक दल और धार्मिक संस्थाएँ अपराध और संकट को पहचानने के बजाय नैतिकता और उपदेशों में उलझी हैं, जबकि समय वास्तविक आपातकालीन निर्णयों की मांग करता है..."

जानकारी ही नहीं रखते कि कृषि उपज, कपड़ा, दवा, साइकिल पर भारी कर है।

7. प्रशासनिक समस्याओं का आर्थिक-सामाजिक समाधान तथा सामाजिक समस्याओं का प्रशासनिक समाधान करने का प्रयत्न।

चोरी, डकैती, बलात्कार, मिलावट, आतंक, जालसाजी पूरी तरह प्रशासनिक समस्याएँ हैं। इनका समाधान हृदय परिवर्तन अथवा भौतिक विकास के माध्यम से करने का प्रयास किया जाता है, जबकि छुआछूत, दहेज, जुआ जैसी सामाजिक समस्याओं का समाधान कठोर कानून के माध्यम से होता है।

हल्की मारपीट में धारा 323 लगाकर पुलिस गिरफ्तारी न करके या कोई केस न बनाकर कोर्ट जाने की सलाह देती है, जबकि जुआ में पुलिस स्वयं केस बनाकर चालान करती है। अवैध बंदूक या पिस्टौल रखने वालों का केस छोटे कोर्ट में चलता है और जल्दी जमानत योग्य है, किन्तु अवैध गांजा का मामला अवैध शस्त्र की अपेक्षा कई गुना अधिक गंभीर भी है और विशेष न्यायालय में चलता है। इनकी जमानत भी आसान नहीं है।

आग लगने, सांप काटने, रेल दुर्घटना आदि का मुआवजा मिल सकता है, किन्तु हत्या या डकैती में मुआवजा का प्रावधान नहीं। ऐसा महसूस होता है कि अपराधी तत्व हमारी संसद में इतने शक्तिशाली स्थिति में हैं कि अधिकांश सांसद उनकी मर्जी पर काम करते हैं। वे लोग अवैध बंदूक-पिस्टौल को साधारण और अवैध अनाज-गांजा को गंभीर अपराध घोषित कर देते हैं।

आश्चर्य की बात है कि चोरी, डकैती और बलात्कार जैसे संगीन अपराधों में सबूत का भार पुलिस पर है तथा संदेह का लाभ अपराधी को मिलता है, जबकि आदिवासी, हरिजन कानून, वन अपराध, छुआछूत आदि मामलों में सबूत का भार अपराधी पर है और संदेह का लाभ उसे नहीं मिलता। चोरी, डकैती, बलात्कार और मिलावट में 100 प्रतिशत न्याय तक की पूरी सतर्कता रखी जाती है और दहेज, वन अपराध, आदिवासी-हरिजन आदि मामलों में न्यायालय की परिधि से बाहर रखने की अलोकतांत्रिक प्रणाली तक की कठोरता बरती जाती है। कई मामलों में इतनी कठोरता है कि वकील तक खड़ा नहीं हो सकता।

8. समाज में वैचारिक मुद्दों के स्थान पर भावनात्मक मुद्दों को आगे लाना।

आवश्यकता इस बात की है कि समाज में राजनीतिक बहस के प्रमुख मुद्दे वैचारिक होने चाहिए। किसी दल ने कितनी योग्यता और सक्षमता से काम किया, इसके गुण-दोष पर चर्चा होनी चाहिए।

किन्तु दुर्भाग्य है कि भारत में राजनीतिक बहस कभी प्याज और टमाटर पर केंद्रित कर दी जाती है तो कभी मंदिर और गोहत्या पर। एक बार श्रीमती गांधी की हत्या को ही वोट प्राप्त करने का आधार बनाया गया। आज तक कभी भी किसी दल ने वैचारिक मुद्दों को सामने लाने का प्रयास नहीं किया।

जिस देश में प्याज और मंदिर जैसे अल्पकालिक तथा भावनात्मक मुद्दों पर पांच साल की सरकार बनाने की कोशिश होती है, वहाँ की स्थिति की कल्पना की जा सकती है। संसद में भी शायद ही कभी गंभीर विचार होता हो, अन्यथा आम तौर जनता की भावनाओं को उकसाने वाली भाषा, भाषण या क्रियाएँ ही दिखाई देती हैं। बात-बात में संसद से बहिर्गमन या शक्ति प्रयोग आम बात हो गई है।
अब तो संसद या राजनीति में खिलाड़ी, मजाकिया, अभिनेता जैसे कला और भीड़ को आकर्षित करने वाले लोग भी महत्वपूर्ण स्थान पाने लगे हैं।

9) समाज शब्द की महत्ता को लगातार कमजोर करके राष्ट्र शब्द को व्यापक स्वरूप देना

पूरे भारत में यह कार्य योजनापूर्वक चल रहा है। अब स्थिति यह है कि सिर्फ राजनीतिज्ञ ही नहीं, समाजशास्त्री या धर्मगुरु भी राष्ट्र को समाज से अधिक महत्वपूर्ण मानने लगे हैं।

मैंने शाहजहाँपुर कॉलेज में यह प्रश्न किया कि राष्ट्र बड़ा है या समाज। सभी विद्यार्थियों और प्राध्यापकों ने राष्ट्र को बड़ा बताया। फिर पूछा कि पाकिस्तान का नागरिक समाज का अंग है या नहीं, तब उन्हें अपनी भूल का अहसास हुआ।

राष्ट्र की एक भौगोलिक सीमा होती है, किन्तु समाज की नहीं। भारतीय समाज, पाकिस्तानी समाज, हिन्दू समाज, ईसाई समाज, ये सभी समाज के भाग होते हैं, प्रकार नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई टुकड़ा मूल से बड़ा हो। किन्तु बड़ी चालाकी से राष्ट्र शब्द को समाज से ऊपर कर दिया गया और समाज शब्द को हिन्दू-मुसलमान, महिला-पुरुष आदि में बांटकर उसकी महत्ता को घटा दिया गया है।

10) अपने कार्यों की प्राथमिकताओं के क्रम को पूरी तरह उल्टा करना

कुल समस्याएँ पाँच प्रकार की होती हैं:

1. वास्तविक या स्वाभाविक: चोरी, डकैती, बलात्कार, मिलावट, जालसाजी, गुण्डागर्दी, आतंकवाद।
2. कृत्रिम या बनावटी: भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, चरित्रपतन, जातिवाद, आर्थिक असमानता, श्रम शोषण।
3. प्राकृतिक: भूकंप, बाढ़, सूखा, बीमारियों का प्रकोप।
4. भूमंडलीय: पर्यावरण प्रदूषण, बढ़ती आबादी, पूंजीवाद की बढ़ती शक्ति।

5. भ्रम या अस्तित्वहीन: महंगाई, दहेज, शिक्षित बेरोजगारी, अशिक्षा का नैतिकता पर दुष्प्रभाव, मुद्रास्फीति का गरीबों पर दुष्प्रभाव, बालश्रम, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच बढ़ती दूरी, शोषण, अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों का दबाव।

सृष्टि के प्रारंभ से आज तक शासन का सर्वोच्च दायित्व न्याय और सुरक्षा रहा है। यदि प्राथमिकताओं का क्रम निर्धारित करें तो ऊपर लिखा क्रम होना चाहिए।

किन्तु जब शासन सुरक्षा और न्याय न दे सके तथा उसे दस प्रकार के नाटक करने हों, तो वह प्राथमिकताओं को पूरी तरह उलट कर विपरीत क्रम में कर देता है। वर्तमान शासन भी सत्तर वर्षों से अपनी प्राथमिकताओं को पूरी तरह उलट कर काम कर रहा है। अर्थात, अब शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता भ्रम या अस्तित्वहीन समस्याओं का समाधान है और सबसे अंत में वास्तविक अपराध नियंत्रण।

लगातार 25–30 वर्षों तक अनुसंधान किया और पाया कि महंगाई और दहेज पूरी तरह काल्पनिक समस्याएँ हैं।

- शिक्षित बेरोजगारी शब्द बुद्धिजीवियों द्वारा श्रम के शोषण के लिए पैदा किया गया है; अन्यथा शिक्षित व्यक्ति अधिक अच्छे रोजगार की प्रतीक्षा में रहता है, न कि बेरोजगार।
- शिक्षा न तो नैतिक होती है और न अनैतिक। इसका व्यक्ति के चरित्र से कोई संबंध नहीं है।
- मुद्रा स्फीति से गरीबों की क्रय शक्ति घटती है, न कि श्रम, बुद्धि या अन्य संपत्ति।
- बालश्रम कोई प्रशासनिक समस्या नहीं है।
- उत्पादक और उपभोक्ता पृथक वर्ग नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के दो स्वरूप हैं।
- अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक समस्या प्रजातंत्र में नहीं होती; व्यक्ति एक इकाई है।

इन काल्पनिक और अस्तित्वहीन समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा रहा है, जबकि अस्तित्वहीन होने के कारण सभी समाधान भी व्यर्थ हैं। लगातार प्रचार के कारण आम नागरिक इन समस्याओं से त्रस्त महसूस करता है और समाधान में शासन का सहयोग करता है।

दूसरी ओर, शासन के सबसे कम प्रयास अपराध नियंत्रण के लिए हैं।

- केंद्र और प्रदेश सरकारों के कुल वार्षिक बजट का सिर्फ 1% पुलिस और न्यायालय पर खर्च होता है।
- उस 1% का 90% धान, गांजा, वन उत्पादन, जुआ, शराब, वैश्यावृति, छुआछूत, आदिवासी-हरिजन अपराध जैसी दो नम्बर की कार्यों पर खर्च होता है।

इस प्रकार सम्पूर्ण बजट का दशमलव एक प्रतिशत ही न्याय और पुलिस के अपराध नियंत्रक स्वरूप पर व्यय होता है।

एक उदाहरण देता हूं: वाड्रफनगर में रबी पंडो के भूख से मरने की खबर पर मध्यप्रदेश सरकार पूरी तरह हिल गई, प्रधानमंत्री नरसिंहराव दौड़े-दौड़े पहुंचे। ठीक दो दिन बाद बलरामपुर में डाकुओं ने घर में घुसकर लूटपाट और दो हत्याएँ की, तो कलेक्टर भी नहीं आया।

डाकू हत्या और भूख हत्या में इतना नाटकीय अंतर रोज देखा जा सकता है। भले ही लोग डाकुओं से मारे जाएँ, किन्तु भूख से मृत्यु शासन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्ष पूर्व भूख मृत्यु की स्थिति में राज्य के मुख्य सचिव को जिम्मेवार घोषित किया, किन्तु हत्या, डकैती, आतंक और बलात्कार के लिए मुख्य सचिव को दोषी नहीं माना।

आश्चर्य प्रकट होता है कि हत्या और मृत्यु का अंतर सामान्य नागरिक भी समझ सकता है, किन्तु कार्यपालिका और विधायिका जैसे प्रजातंत्र के ठेकेदार क्यों ऐसी बातें नहीं समझते।

भारत का आम नागरिक जानता है कि भ्रष्टाचार, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, चरित्रपतन, आर्थिक असमानता तथा श्रम शोषण कृत्रिम समस्याएँ हैं, जो शासन द्वारा समाज के बीच अनावश्यक हस्तक्षेप का परिणाम हैं। मैं दिल्ली जाने हेतु गढ़वा स्टेशन पर टिकट की कतार में खड़ा हूँ। कई लोग प्रभाव से या धक्का देकर पहले टिकट लेने में सफल हो रहे हैं और हमारी लाइन बहुत धीरे-धीरे बढ़ रही है। ट्रेन का समय देखते हुए मेरा लड़का भी मुझसे अनुमति लेकर वैसा ही करता है।

टिकट लाने के बाद मैंने उसे एक असक्त वृद्धा को धक्का देने के विरुद्ध कहा तो उसका सीधा कहना था कि धक्का मजबूत को नहीं दिया जाता। जो हमसे मजबूत थे, उन्होंने हमें धक्का दिया और कमजोर थे उन्हें मैंने धक्का दिया। और तर्क करने पर उसने सीधा प्रश्न किया कि क्या ट्रेन छोड़ देना उचित है? आप लोग तो जीवन भर धूर्तों और गुंडों को ट्रेन पर सवार होते देखकर भी ट्रेन छोड़कर खड़े रहे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। या तो सब लाइन में होंगे या हम भी उसी तरह तैयार हैं जैसे और लोग। मैं निरुत्तर था। मैं मानता हूँ कि उक्त चुप्पी मेरा चरित्र पतन था, किन्तु ट्रेन छोड़ने के तर्क में भी पर्याप्त दम था।

आज प्रतिदिन ऐसे अवसर आते हैं कि शासन के कानूनों का उल्लंघन करने वाला पालन करने वाले से अधिक सुखी है। ऐसी घटनाएँ प्रायः हो रही हैं। हमारे अनुसंधान में यह भी पूरी तरह सिद्ध है कि ये छः कृत्रिम समस्याएँ मामूली कानूनी हेरफेर से ठीक हो सकती हैं, किन्तु इसके लिए कोई प्रयास नहीं होता। इससे अधिक प्रयास तो पर्यावरण प्रदूषण, आबादी नियंत्रण जैसी समस्याओं के समाधान में किया जा रहा है, जो शासन के

यह पूरा लेख एक ही बात को तेज और साफ आवाज में कहता है कि आज का असली संकट अपराधियों की बढ़ती शक्ति है और इस दौर में सामान्यकाल की नैतिक भाषा, धार्मिक उपदेश और शरीफ बने रहना समाज को बचा नहीं सकता. समय मांग कर रहा है कि धर्म और कर्तव्य की परिभाषाएँ संकट के अनुसार बदली जाएँ और राम तथा कृष्ण की तरह आपातकालीन निर्णय लिए जाएँ.

लिए प्राथमिकता के क्रम में इनके बाद होनी चाहिए।

भारत में वर्तमान जो भी समस्याएँ हैं, उनके समाधान पर गंभीरता पूर्वक चिंतन-मंथन किया गया:

1. यह मानव प्रकृति है कि किसी कार्य के परिणाम से प्रभावित व्यक्ति और कर्ता के बीच दूरी जितनी अधिक होगी, उस कार्य की गुणवत्ता उतनी ही कम होती जाएगी। इस मानव प्रकृति के आधार पर शासन का हस्तक्षेप किसी भी कार्य में न्यूनतम ही होना चाहिए।
2. समाजशास्त्रियों ने भी प्रमाणित किया है कि किसी अच्छी से अच्छी व्यवस्था से भी अपनी व्यवस्था अधिक अच्छी होती है। इस नीति-निष्कर्ष के आधार पर शासन के दायित्व न्यूनतम ही होने चाहिए।
3. राजनीतिक सूझ-बूझ यही कहती है कि जिस राज्य व्यवस्था की नीयत संदेहास्पद हो, उसे एक क्षण भी स्वीकार करना गुलामी का प्रतीक है। वर्तमान शासन अपने प्रमुख दायित्व सुरक्षा और न्याय से मुंह फेर रहा है, अपराधियों से साठ गांठ कर रहा है, अधिकारों का दुरुपयोग करके नित नई समस्याएँ पैदा कर रहा है, तथा शासन दस प्रकार के ऐसे नाटक कर रहा है जो शासन को फूट डालकर राज्य करने में सहायक हो सकें।

इसलिए वर्तमान समस्याओं का पहला समाधान यही है कि शासन के हस्तक्षेप, दायित्व तथा अधिकार न्यूनतम हों। इस प्रयास को लोकस्वराज्य का नाम दिया जाए। हम शासन के अधिकार, दायित्व तथा हस्तक्षेप को इस सीमा तक कम कर दें कि व्यक्ति को व्यक्तिगत, परिवार को पारिवारिक, गांव को गांव संबंधी, जिला को जिला संबंधी, प्रदेश को प्रदेश संबंधी तथा राष्ट्र को राष्ट्रीय मामलों की सीमा में निर्णय की पूरी स्वतंत्रता हो। किसी भी इकाई का किसी अन्य इकाई के इकाईगत मामलों में हस्तक्षेप न हो। शासन प्रत्येक इकाई को उक्त स्वतंत्रता की सुरक्षा गारंटी दे।

इस तरह देश की अधिकांश समस्याएँ अपने आप ही सुलझ जाएँगी। कुछ शेष बची समस्याएँ मामूली संवैधानिक हेरफेर से समाप्त हो जाएँगी। सत्तर वर्षों का यही निष्कर्ष है कि भारत की सभी समस्याओं का एक मुश्त समाधान लोकस्वराज्य में ही निहित है।

आज भारत में कई और संस्थाएँ इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं, किन्तु उनकी व्यक्तिगत कमजोरियाँ उन्हें स्पष्ट स्वरूप नहीं दे रही हैं। यह मानव स्वभाव है कि वह ऊपर वाले से तो स्वतंत्रता चाहता है, किन्तु नीचे वालों को निर्णय की स्वतंत्रता नहीं देना चाहता। यही दुविधा लोकस्वराज्य अथवा ग्रामस्वराज्य के लिए काम करने वाली संस्थाओं के साथ भी है।

ऐसी संस्थाएँ ग्राम स्वावलम्बन, नशामुक्ति, सर्व शिक्षा, स्वदेशी, अंत्योदय जैसे प्रयासों को ग्राम स्वराज्य के लिए सहायक रूप में मानकर इन सबको ग्राम स्वराज्य के साथ जोड़ देती हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ये सभी कार्य ग्राम स्वराज्य के न तो सहायक हैं, न ही आधार। इसके विपरीत, ये सब तो ग्राम स्वराज्य के परिणाम हैं। यही कारण है कि पूरी ईमानदारी और लगन से काम करने के बाद भी ग्राम स्वराज्य के पक्ष में कोई जन-जागृति नहीं बन पा रही। ग्राम स्वराज्य जितना ही जनता के बीच आगे बढ़ता है, उससे कई गुना अधिक ये अन्य बोझिल प्रयास उसे पीछे खींच देते हैं।

सुराज्य के प्रयास लोकस्वराज्य में बाधक हैं, किन्तु यह साधारण बात भी हमारे मित्र नहीं समझ रहे। इसलिए अन्य संगठनों के होते हुए भी हमने लोकस्वराज्य नाम से पृथक प्रयास करना तय किया। हम लोकस्वराज्य या ग्रामस्वराज्य के लिए काम करने वाली किसी भी संस्था के साथ हैं, किन्तु हम लोकस्वराज्य के अतिरिक्त किए जाने वाले अन्य प्रयासों में उनके साथ नहीं।

4 नवम्बर 1999 को हम सब लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत की सभी समस्याओं का समाधान का एकमात्र रास्ता लोकस्वराज्य है। किन्तु किसी भी अनुसंधान के परिणामों की ओर अधिक विश्वसनीय बनाने के लिये उसके कहीं सफल प्रयोग की आवश्यकता होती है। मुझे रामानुजगंज शहर का नगर पंचायत अध्यक्ष चुनकर लोकस्वराज्य पद्धति से व्यवस्था का दायित्व दिया गया। मैंने चुनौती स्वीकार की।

अध्यक्ष बनने के बाद नगर पंचायत व्यवस्था में व्यापक कानूनी संशोधन किए। सत्रह सदस्यों की परिषद के अतिरिक्त चालीस लोगों का एक पृथक मंत्रीमंडल बना तथा बाहर सौ लोगों की एक मतदाता परिषद का गठन किया गया। पंचायत परिषद में प्रस्ताव पारित होने की न्यूनतम मत संख्या इक्यावन प्रतिशत से बढ़ाकर अस्सी कर दी गई और यदि पार्षदों की सहमति अस्सी प्रतिशत से कम है, तो वह प्रस्ताव मंत्रिमंडल में पारित होगा। यदि मंत्रिमंडल में भी बीस प्रतिशत विरोध होता है तो प्रस्ताव पुनः मतदाता परिषद में जाएगा।

इसी तरह एक अन्य संशोधन द्वारा शहर में चोरी, डकैती तथा दादागिरी-गुंडागर्दी रोकने का दायित्व भी नगर पंचायत ने संभाल लिया। ऐसे संशोधन के दूरगामी परिणाम हुए। नगर पंचायत में अल्पमत को भी महत्व मिला तथा नागरिकों की सहभागिता बढ़ी। नगर पंचायत का विकास खर्च सत्तर गुना तक बढ़ गया, जो एक रिकॉर्ड है। पूरे शहर में नगर पंचायत रात्रि गश्त कराती थी तथा चोरी रोकने में पुलिस की सहायता करती थी। पाँच वर्षों से शहर में एक भी ऐसी चोरी नहीं हुई जो पकड़ी न गई हो। दादागिरी और गुंडागर्दी भी शून्यवत् रही। राजनीतिक दादागिरी भी नहीं रही।

अपराध नियंत्रण में अपराध और गैर-कानूनी की पहचान बहुत बाधक थी। रामानुजगंज में यह कार्य किया गया। तीन नंबर वालों की दो नंबर से पृथक पहचान की गई। एक नारा दिया गया कि "गर्व से कहो, हम दो नंबर हैं। तीन नंबर अपराध है। दो नंबर के काम से तो शासन के अनावश्यक हस्तक्षेप का परिणाम है।" इससे आम लोगों का मनोबल ऊँचा हुआ और अपराधियों का गिरा। आम नागरिकों को लगातार यह भी समझाया गया कि आपातकाल में शराफत धूर्तों का भोजन है। अतः आप लोग शराफत छोड़िए, समझदारी अपनाइए।

इन सब प्रयासों से रामानुजगंज नगर में जहाँ सुरक्षा और समझदारी मजबूत हुई, वहीं विकास का भी मार्ग खुला। हम रामानुजगंज में प्रयोग करके सम्पूर्ण भारत में यह संदेश देने में सफल हुए कि भारत की अधिकांश समस्याओं का समाधान लोकस्वराज्य प्रणाली में है। सच्चाई तो यह है कि तानाशाही का विकल्प प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र का विकल्प लोकस्वराज्य।

यह बात प्रमाणित हो चुकी थी कि लोकस्वराज्य ही भारत की वर्तमान व्यवस्था का एक मात्र विकल्प है। यह काम अत्यंत आसान भी है।

इस तरह रामानुजगंज में बैठकर हम लोग यह निष्कर्ष निकाल चुके थे कि वर्तमान दुनिया की सभी राजनैतिक समस्याओं का समाधान लोकस्वराज्य प्रणाली ही है और इसकी शुरुआत भारतीयराजनेताओं को समझाकर ही की जा सकती है। इसी आधार पर हम लोगों ने दिल्ली को अपना मुख्य कार्यालय बनाकर अपना कार्य शुरू किया। तीन–चार वर्षों तक हम गोविंदाचार्य जी को भी तैयार करते रहे तथा अन्य राजनैतिक नेताओं से भी चर्चा हुई। सब लोग हमारी बात से सहमत थे लेकिन वे इस कार्य में अपना राजनैतिक भविष्य अंधकार में देख रहे थे। तब हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल को लोकस्वराज समझाया और वे तैयार भी हो गए, लेकिन सत्ता नज़दीक देखकर उनका भी मन फिसल गया। हमारी पूरी टीम बहुत निराश हुई। ठाकुरदास जी बंग तथा अन्य कई साथी भी दुनिया छोड़कर चले गए थे। पूरी तरह निराश होने के बाद हम लोगों ने ऋषिकेश में गंगा किनारे बैठकर लगातार इस समस्या पर चिंतन किया। 2 वर्ष तक लगातार चिंतन–मंथन के बाद यह निष्कर्ष निकला कि लोकस्वराज का कार्य राजनेताओं के माध्यम से नहीं बल्कि जनजागरण से संभव है।

इसी बीच कोरोना आ गया और हम कई वर्षों तक निष्क्रिय हो गए। अब कोरोना के बाद हम लोग मां संस्थान के माध्यम से यह लोकजागरण का कार्य कर रहे हैं।

हमने वर्तमान में सभी समस्याओं के समाधान की शुरुआत तीन माध्यमों से की है—

पहला— भारत का संविधान तंत्र के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए और संविधान संशोधन के लिए तंत्र के साथ–साथ जनता द्वारा निर्वाचित संविधान सभा भी होनी चाहिए। यह कार्य शुरू भी कर दिया गया है।

दूसरा— समाज सशक्तिकरण लिए आदर्श परिवार व्यवस्था होना आवश्यक है, क्योंकि परिवार व्यवस्था ही समाज की पहली इकाई है।

तीसरा— समाज में चिंतन–मंथन का अभाव हो गया है, गंभीर विचारकों की बहुत कमी हो गई है। इसलिए हमें राजनीति से दूर रहकर समय–समय पर राजनेताओं और सामाजिक संस्थाओं का मार्गदर्शन करना चाहिए।

इस तरह मां संस्थान ने इस संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के असंभव कार्य को संभव करने की शुरुआत की है। हमारा मुख्य कार्यालय रामानुजगंज में है, एक कार्यालय दिल्ली में भी है। मैं बजरंग मुनि रायपुर से कुछ काम देखता हूं। मेरे विचार से वर्तमान व्यवस्था में यही एकमात्र विकल्प है और हम सब लोग इस दिशा में सक्रिय हैं।

नयी समाज व्यवस्था

1. नई समाज-व्यवस्था : विचार और क्रियान्वयन का संतुलित मॉडल

हम प्रतिदिन प्रातःकाल नई समाज-व्यवस्था पर चर्चा करते हैं, और मैं अपने जीवन के अनुभव आपको साझा करता हूँ। मेरा अनुभव यह रहा है कि सिद्धांत और व्यवहार के बीच उचित तालमेल अनिवार्य है।

यदि केवल उच्च सिद्धांतों के आधार पर क्रियान्वयन किया जाए, तो परिणाम अक्सर असफलता ही होती है। इसके विपरीत, यदि सिद्धांतों को पूरी तरह छोड़कर केवल व्यवहारिकता को महत्व दिया जाए, तो समाज में बुराइयों की वृद्धि अवश्यंभावी है।

इसी संतुलन को हम 'बेस्ट पॉसिबल' सिद्धांत कहते हैं—अर्थात् जो सर्वोत्तम भी हो और संभव भी। इसका अर्थ है कि विचार-स्तर पर हम सर्वोच्च सिद्धांतों की चर्चा अवश्य करें, परंतु क्रियान्वयन के समय उन सिद्धांतों में आवश्यक व्यवहारिकता का समावेश करें, क्योंकि हर उच्च सिद्धांत को ज्यों-का-त्यों लागू करना संभव नहीं होता।

वर्तमान समय में कुछ लोग केवल उच्च सिद्धांतों को लागू करना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग सिद्धांतों को त्यागकर पूरी तरह व्यवहारिकता पर चलना चाहते हैं। ये दोनों ही दृष्टिकोण अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण हैं।

2. हिंसा-निरोधी व्यवस्था : अनुशासन और सुरक्षा का संतुलन

नई समाज-व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा। हमारी व्यवस्था के तीन वर्ग—मार्गदर्शक, पालक और सेवक—किसी भी परिस्थिति में न तो हिंसा करेंगे और न ही हिंसा का समर्थन करेंगे। उनकी ओर से किसी भी प्रकार की हिंसा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

रक्षक वर्ग, जो शासन-प्रणाली से जुड़े होंगे, आवश्यकता पड़ने पर सीमित हिंसा कर सकेंगे। उन्हें ऐसी परिस्थितियों में हिंसा के लिए प्रोत्साहन और आवश्यक सहयोग भी दिया जाएगा। इस प्रकार, हम समाज में हिंसा को पूरी तरह निरुत्साहित करेंगे, जबकि सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक सीमा तक इसकी अनुमति देंगे।

अनुशासन बनाए रखने में नियंत्रित हिंसा का एक महत्त्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इससे आवश्यक भय का वातावरण बनता है। इसका अर्थ है कि किसी भी संगठन में, उसके संविधान के अनुसार, सीमित और नियंत्रित हिंसा की जा सकती है—परंतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हिंसा तात्कालिक प्रभाव वाली हो, दीर्घकालिक नुकसान पहुँचाने वाली नहीं।

इस प्रकार, हिंसा के मामले में हम संगठनों को केवल सहमति-आधारित, सीमित और अल्पकालिक प्रभाव वाली हिंसा की छूट देंगे, ताकि अनुशासन भी बना रहे और समाज पर कोई स्थायी हानि भी न हो।

3. वर्ण-व्यवस्था का आधुनिक मॉडल : घोषणा, परीक्षा और मान्यता

नई समाज-व्यवस्था में वर्ण-व्यवस्था अनिवार्य होगी। प्रत्येक व्यक्ति अपना वर्ण स्वयं घोषित करेगा, और कोई भी व्यक्ति एक समय में केवल एक ही वर्ण में रहेगा। मार्गदर्शक अर्थात् ब्राह्मण, रक्षक अर्थात् क्षत्रिय, पालक अर्थात् वैश्य और सेवक अर्थात् शूद्र—ये चार वर्ण निर्धारित होंगे।

प्रारम्भिक स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति सेवक माना जाएगा। उसके बाद वह जिस वर्ण की घोषणा करेगा, उस घोषणा के आधार पर उसकी परीक्षा ली जाएगी, और परीक्षा में योग्य पाए जाने पर ही उसे उस वर्ण का सदस्य माना जाएगा। प्रत्येक वर्ण के अपने विशिष्ट गुण, कर्म और स्वभाव निर्धारित होंगे।

कोई भी व्यक्ति कभी भी अपना वर्ण बदल सकता है, परंतु परिवर्तन के लिए उसे नए वर्ण की निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी; अन्यथा वह सेवक माना जाएगा।

भिन्न-भिन्न वर्णों के लोग एक ही परिवार में साथ रह सकते हैं। वर्ण-व्यवस्था का संचालन राष्ट्र सभा द्वारा किया जाएगा, और इस विषय में सरकार का कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होगा। सरकार इस वर्ण-व्यवस्था को मान्यता देगी तथा सम्मान, सुविधाएँ और दंड—सभी व्यवस्थाएँ इसी के अनुसार निर्धारित की जाएँगी।

4. न्यूनतम मजदूरी कानूनों की समाप्ति : स्वतंत्र श्रम-संबंधों का मॉडल

नई समाज-व्यवस्था में हम यह प्रावधान लागू करेंगे कि न्यूनतम मजदूरी से संबंधित सभी कानून समाप्त कर दिए जाएँ। किसी व्यक्ति को कितने घंटे काम करना है और किस मजदूरी पर काम करना है—यह पूरी तरह उसकी स्वतंत्र इच्छा और आपसी सहमति का विषय होगा। कोई कानून किसी व्यक्ति को 8 घंटे या 12 घंटे कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

काम का समय और मजदूरी दो व्यक्तियों के बीच होने वाला आपसी समझौता है; ऐसे समझौते में सरकार कैसे यह निर्धारित कर सकती है कि मजदूरी कितनी हो या कितने घंटे कार्य किया जाए? यह अधिकार सरकार को नहीं दिया जा सकता। हाँ, हमारी सामाजिक इकाइयाँ इस विषय में मार्गदर्शन या हस्तक्षेप कर सकती हैं, लेकिन सरकार को इसमें बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए।

पश्चिमी देशों की नकल करते हुए सरकारें न्यूनतम मजदूरी के कानून तो बना देती हैं, पर यह तभी उचित होता जब सरकार स्वयं को प्रत्येक नागरिक को रोजगार देने के लिए बाध्य करती। जब सरकार रोजगार की गारंटी नहीं देती, तब ऐसे कानून समाज पर अनावश्यक बोझ बन जाते हैं और उसके दुष्परिणाम भी गंभीर होते हैं।

हमारे विचार में यह सरकार की गलती है, और इसके परिणाम समाज के लिए घातक सिद्ध होते हैं। इसी कारण हमने तय किया है कि सरकार आपसी समझौतों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी।

मानवता का विस्तार करना सरकार का दायित्व नहीं है; सरकार का वास्तविक कार्य मानवता की सुरक्षा करना है। मानवता का विकास और विस्तार समाज का कार्य है, और समाज के अस्तित्व को स्वीकार किया जाना आवश्यक है।

5. वर्तमान सामाजिक संकट का मूल : बुद्धि-प्रधानों का विचलन

वर्तमान समय की सामाजिक व्यवस्था पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट होता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव दो प्रमुख प्रकारों में विभाजित होता है—भावना-प्रधान और बुद्धि-प्रधान। भावना-प्रधान व्यक्ति बुद्धि-प्रधान व्यक्तियों के द्वारा संचालित होते हैं, और बुद्धि-प्रधान व्यक्ति भावना-प्रधान लोगों को संचालित करते हैं। सामान्यतः कुल जनसंख्या में बुद्धि-प्रधान लोगों की संख्या 10% से भी कम होती है, जबकि भावना-प्रधान लोग लगभग 90% होते हैं।

बुद्धि-प्रधान लोग ही समाज में समस्याएँ पैदा भी कर सकते हैं और उनका समाधान भी कर सकते हैं; भावना-प्रधान लोग न तो समस्याएँ खड़ी करते हैं और न ही उनका समाधान कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में यह विचार करना कठिन हो जाता है कि समाज के लिए भावना-प्रधान लोगों का अधिक होना अच्छा है या बुद्धि-प्रधान लोगों का।

भावना-प्रधान को बुद्धि-प्रधान बनाना या बुद्धि-प्रधान को भावना-प्रधान बनाना किसी भी समस्या का वास्तविक समाधान नहीं है, क्योंकि समस्याओं के मूल में हमेशा बुद्धि-प्रधान ही होते हैं—वे ही चालाक भी हो सकते हैं और समझदार भी। दूसरी ओर, भावना-प्रधान लोग या तो शरीफ़ होते हैं या फिर सरलता में कभी-कभी मूर्खता की ओर झुक जाते हैं।

इसीलिए वर्तमान समय में सबसे उपयुक्त समाधान यही है कि बुद्धि-प्रधान लोगों में से कुछ को समझदार बनाया जाए। भावना-प्रधान लोगों को समझदार बनाने का प्रयास लगभग निरर्थक है। मैं जानता हूँ कि यह कार्य अत्यंत कठिन है, परंतु इसके अतिरिक्त कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।

आज की चुनौती यह है कि समझदार लोगों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि बुद्धि-प्रधान लोग तेजी से चालाकी और धूर्तता की ओर बढ़ रहे हैं। इसी कारण भावना-प्रधान लोग भी उनके प्रभाव में आकर गलत दिशाओं में प्रवाहित हो रहे हैं।

इसलिए वर्तमान समय की आवश्यकता यही है कि बुद्धि-प्रधान वर्ग के विचारों में परिवर्तन लाया जाए। जब यह वर्ग सही दिशा में कार्य करेगा, तो भावना-प्रधान लोग स्वाभाविक रूप से ठीक मार्ग पर चलने लगेंगे।

6. माँ संस्थान का मिशन : राजनीति से परे एक सशक्त समाज-व्यवस्था का निर्माण

कल हुई चर्चा में हमने यह निष्कर्ष निकाला कि हमारी वर्तमान समस्याओं का समाधान केवल बुद्धिजीवी ही कर सकते हैं, भावना-प्रधान लोग नहीं। इसका कारण यह है कि समस्याएँ उत्पन्न भी बुद्धिजीवी ही करते हैं, और उनका समाधान भी वही खोज सकते हैं। समस्याएँ पैदा करने में राजनेताओं की भूमिका सबसे अधिक होती है, क्योंकि उनके पास चालाकी भी होती है और शक्ति भी।

इसीलिए हमने महसूस किया कि वर्तमान समय में राजनीति-मुक्त समाज-व्यवस्था को सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है, और इस कार्य का नेतृत्व केवल बुद्धिजीवी ही कर सकते हैं—भावना-प्रधान लोग नहीं। इसी उद्देश्य से माँ संस्थान के नेतृत्व में बुद्धिजीवियों की एक ऐसी टीम तैयार की जा रही है, जो राजनीति-मुक्त समाज-व्यवस्था को मजबूत करे और भावना-प्रधान लोगों को साथ लेकर चले।

भावना-प्रधान लोगों को जोड़ने के लिए धर्म और साहित्य—इन दोनों का सहारा लेना आवश्यक होगा। इसलिए बुद्धिजीवियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे धर्म और साहित्य को सशक्त रूप से प्रस्तुत करें। वर्तमान समय में धूर्त और चालाक लोग इन्हीं दोनों का उपयोग करके समाज में समस्याएँ पैदा कर रहे हैं; अतः हमें भी इन्हीं साधनों का सही रूप में उपयोग करना पड़ेगा।

मैं माँ संस्थान के सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि हम धर्म और साहित्य—इन दोनों को माध्यम बनाकर भावना-प्रधान लोगों को प्रेरित करें। साथ ही, बुद्धिजीवियों का एक सशक्त समूह लगातार तैयार होता रहना चाहिए, जो समस्याओं के समाधान के लिए चिंतन और मंथन करता रहे। माँ संस्थान को यह जिम्मेदारी समझनी होगी कि आज की दुनिया में इकलौता संगठन माँ संस्थान ही है, जो इस दिशा में इतनी गंभीरता के साथ कार्य कर रहा है।

7. ड्रग्स और आतंकवाद: अलग समस्याएँ, अलग समाधान

नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका के एक सम्मेलन में यह बात विशेष रूप से उठाई कि ड्रग्स को पूरी तरह रोका जाना चाहिए। मैं इस मत से तो सहमत हूँ कि ड्रग्स पर नियंत्रण आवश्यक है, परंतु इस बात से सहमत नहीं हूँ कि इसका पूरा भार सरकार पर डाला जाए।

मेरे मत में ड्रग्स रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी परिवार, गाँव और समाज को उठानी चाहिए। जब तक व्यक्ति और समाज स्वयं इस विषय में गंभीर नहीं होंगे, तब तक सरकार के प्रयास सीमित ही रहेंगे। समाज की भागीदारी के बिना किसी भी प्रकार का प्रतिबंध प्रभावी नहीं हो सकता।

मैं यह स्वीकार करता हूँ कि ड्रग्स के दुरुपयोग से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, लेकिन आतंकवाद को रोकने के लिए ड्रग्स को मुख्य लक्ष्य बनाकर सारी शक्ति लगाना उचित नहीं है। आतंकवाद अपराध है, इसलिए उसे रोकना सरकार का दायित्व है;ड्रग्स स्वयं में अपराध नहीं, बल्कि एक सामाजिक समस्या है, इसलिए इसे रोकने की जिम्मेदारी समाज की होनी चाहिए।मैं इस संदर्भ में नरेंद्र मोदी के विचार से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। नई समाज-व्यवस्था में हम यह सिद्धांत अपनाएँगे कि ड्रग्स पर नियंत्रण की जिम्मेदारी समाज की होगी, जबकि अपराध रोकने की जिम्मेदारी सरकार की होगी।

8. विचारकों की नई प्रणाली: समाज के लिए एक वैचारिक ढाँचा

हमने कल इस विषय पर चर्चा की थी कि समाज में समस्याएँ भी बुद्धिजीवी पैदा करते हैं और उनके समाधान की क्षमता भी बुद्धिजीवियों में ही होती है। बुद्धिजीवियों के भीतर जहाँ एक ओर विवेकशील और प्रबुद्ध लोग होते हैं, वहीं कुछ लोग धूर्त और स्वार्थी भी हो जाते हैं। वर्तमान समय में समझदार, विवेकप्रधान बुद्धिजीवियों की संख्या घटती जा रही है, और यही एक गंभीर समस्या बनती जा रही है।

इसलिए हमारा विचार है कि समाज के मार्गदर्शन के लिए एक विशिष्ट विचारक-टीम बनाई जाए। इस टीम में केवल वही लोग हों, जिनमें विचारशीलता, तर्क क्षमता और मानसिक परिपक्वता का उच्च स्तर हो। इसके लिए एक विशेष परीक्षा का प्रावधान किया जा सकता है, जो लगभग 6 वर्ष की आयु में ली जाए। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले ही इस टीम के सदस्य बन सकेंगे।

संसद और न्यायपालिका में भी इन्हीं विचारकों को भेजा जाएगा। विश्वविद्यालयों में कुलपति और शिक्षकों का चयन भी इसी टीम के सदस्यों में से किया जाएगा। इस टीम के सदस्यों को आकर्षक वेतन-भत्ते नहीं दिए जाएँगे, लेकिन उन्हें सर्वोच्च सामाजिक सम्मान प्रदान किया जाएगा।

हम एक ऐसी व्यवस्था विकसित करना चाहते हैं, जिसमें विचारक वर्ग समाज को दिशा दे—

- जो भावनाओं से नहीं, तर्क और बुद्धि से कार्य करे,
- और जिनमें से सर्वश्रेष्ठ और संतुलित बुद्धि वाले लोग विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किए जाएँ।

संविधान सभा में भी इन्हीं विचारकों का चयन होगा। यह मार्गदर्शन-टीम शासन, राजनीति, साहित्य, कला, नाटक, खेलकूद या व्यापार जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाएगी। इसका कार्य केवल मार्गदर्शन, चिंतन और विचार-निर्माण रहेगा। हम प्रतिदिन सुबह 8 बजे से डेढ़ घंटे बैठकर इस विचारक-टीम की रूपरेखा पर काम शुरू कर भी चुके हैं।

व्यवस्था-सुधार ही वास्तविक समाधान: व्यक्ति-परिवर्तन पर्याप्त नहीं

वर्तमान समय में, विशेषकर भारत में जो अराजकता का वातावरण दिखाई देता है, उसका कारण व्यक्ति का स्वभाव नहीं, बल्कि व्यवस्था की गड़बड़ी है। व्यवस्था बिगड़ने के कारण व्यक्ति के स्वभाव में भी विकृति आ जाती है। यही कारण है कि आज “यथा राजा तथा प्रजा” की कहावत और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है। मेरा जीवन भर का अनुभव रहा है कि व्यवस्था जैसा ढलती है, व्यक्ति का व्यवहार भी वैसा ही आकार लेता है। इसलिए हमें व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की दिशा में सोचना चाहिए।

व्यवस्था अनेक प्रकार की होती है—राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, वैश्विक और अन्य कई रूपों में। दुर्भाग्य से लगभग हर क्षेत्र में विकृतियाँ फैल गई हैं, और हर स्तर पर सुधार की आवश्यकता है।

मैं उन लोगों के पक्ष में नहीं हूँ जो केवल व्यक्ति-परिवर्तन या चरित्र-निर्माण को समाधान मानते हैं। अन्ना हजारे, योग गुरु रामदेव और अन्य कई लोग चरित्र-निर्माण पर बहुत ज़ोर देते हैं। मैं इसका विरोध नहीं करता, क्योंकि चरित्र-निर्माण मूलतः धर्म का कार्य है, न कि राजनीतिक व्यवस्था का। यह कहना कि “संसद में ईमानदार लोग भेज दो तो सब ठीक हो जाएगा”—यह एक सरल और अपरिपक्व दृष्टिकोण है।

धर्म में अच्छे और ईमानदार लोगों को स्थान मिलना चाहिए, लेकिन संसद की समस्या व्यक्ति की नहीं, व्यवस्था की है। यदि यह तर्क है कि अच्छे लोग संसद में आ जाएँ तो सब ठीक हो जाएगा, तो हमें यह भी पूछना चाहिए कि 1947 के बाद जब संसद में एक से बढ़कर एक चरित्रवान लोग थे, तब बुराइयाँ कहाँ से उत्पन्न हो गईं? स्पष्ट है कि समस्या व्यक्ति नहीं, बल्कि व्यवस्था की संरचना और उसकी खामियों में निहित है। इसलिए यह संभव है कि अच्छे और चरित्रवान लोग संसद में आएँ तो स्थिति कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन

जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक व्यक्ति का स्वभाव और व्यवहार भी मूलतः नहीं बदलेगा।

अंत में, मेरा मानना है कि नई व्यवस्था में हमें दोनों दिशाओं से कार्य करना चाहिए–

- धर्म के माध्यम से व्यक्ति के स्वभाव और चरित्र में सुधार,
- और राजनीति के माध्यम से संवैधानिक व संस्थागत व्यवस्था में परिवर्तन।

ये दोनों कार्य महत्वपूर्ण हैं, परंतु इन्हें अलग-अलग क्षेत्रों के रूप में समझकर ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

साम्प्रदायिकता, निंदा से बचने की प्रवृत्ति और भारत में बढ़ती सावधानियों की आवश्यकता

बचपन से ही यह महसूस करता था कि हिंदू और मुसलमान समाज में सांप्रदायिकता के स्वर अलग-अलग रूपों में दिखाई देते हैं। मुझे हमेशा अंतर दिखता था, लेकिन वर्तमान में दिल्ली में हुई आतंकवादी घटना के बाद जो स्थितियाँ सामने आईं, वैसी गंभीरता की मैंने कल्पना भी नहीं की थी।

इस घटना के बाद अब तक कोई भी प्रमुख मुस्लिम व्यक्तित्व खुलकर इसकी निंदा करते हुए सामने नहीं आया। इसके विपरीत, कुछ बड़े नेता–जो विपक्षी दलों के उच्च पदों पर हैं–ऐसे बयान दे रहे हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घटना को स्पष्ट शब्दों में नकार नहीं पाते।

उदाहरण के लिए, उमर अबदुल्लाह ने पहले निंदा से स्वयं को बचाए रखा। महबूबा मुफ़्ती के बयान भी घटना के संदर्भ में अस्पष्ट रहे। इसी प्रकार, नजीब जंग तथा कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी सीधे-सीधे आलोचना करने से परहेज़ किया।

यह प्रवृत्ति चिंताजनक है, क्योंकि ऐसा महसूस होने लगा है कि कुछ लोग आतंकवादी घटनाओं की स्पष्ट निंदा करने में संकोच करते हैं, मानो ऐसा करने से धार्मिक आपत्ति उत्पन्न हो जाएगी। यह बात समझ से परे है, क्योंकि यदि कोई घटना देश, समाज और निर्दोष लोगों के विरुद्ध है, तो उसकी निंदा करना तो एक सामान्य मानवीय दायित्व है। ऐसे में कम से कम चुप रह जाना भी एक विकल्प हो सकता है–अनावश्यक उलझे हुए बयान देने की आवश्यकता क्या है?

भारत की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी समुदाय से जुड़े लोग, विशेषकर संवेदनशील मुद्दों पर बोलते समय, अतिरिक्त सावधानी रखें। इसका उद्देश्य किसी समुदाय को कठघरे में खड़ा करना नहीं, बल्कि यह समझना है कि ऐसी घटनाओं के बाद अनावश्यक या अस्पष्ट बयान संदेह और तनाव को बढ़ा सकते हैं।

अहिंसा का सम्मान, पर कायरता नहीं–हिंदू विचार की स्पष्ट रेखा

हम हिंदू हैं–हिंदू हमारा धर्म भी है, हमारी संस्कृति भी, और हिंदुस्तान हमारा देश भी। हमारी यह संपूर्ण जीवन-व्यवस्था मानवता के लिए एक संदेश के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। हम स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से अहिंसा तथा सत्य का पालन करने वाले लोग हैं। हमारी जीवन-पद्धति में इन दोनों मूल्यों का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। किन्तु जब परिस्थितियाँ ऐसी हों कि अहिंसा को कायरता समझा जाने लगे या दूसरा पक्ष हमारे साथ अन्याय करने लगे, तब हमें प्रतिरोध का मार्ग अपनाना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी परिस्थिति में हमारा सत्य समाज-व्यवस्था को हानि पहुँचाने वाला प्रतीत हो, तो ऐसे सत्य के साथ समझदारीपूर्ण समझौता करना ही उचित है।

स्पष्ट है कि अहिंसा और सत्य हमारे मौलिक जीवन-मूल्य हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुरूप इनका व्यावहारिक रूप से उपयोग करना ही बुद्धिमत्ता है। इसलिए हम समाज में निरंतर समझदारी को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं।

हमारा संदेश सरल है–

सिर्फ शराफ़त नहीं, समझदारी भी सीखिए।

भारत से साम्यवाद का अंत: जेएनयू और नक्सलवाद का संबंध

छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नक्सली, हिरमा, आज मुठभेड़ में मारा गया है। पहले से ही यह अंदेशा था कि अमित शाह की मार्च तक की घोषणा सफल होगी, और हिरमा के मारे जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अब किसी भी प्रकार की "किंतु-परंतु" की गुंजाइश नहीं बची है। नक्सलवादियों का सफाया अब निश्चित हो गया है। इसके बाद धीरे-धीरे साम्यवादियों पर भी कार्रवाई संभव होगी। मेरा मानना है कि भारत से साम्यवाद का अंत होना चाहिए, और उसकी अंतिम पहचान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में अभी बची हुई है। जब जेएनयू से साम्यवाद खत्म हो जाएगा, तब कहा जा सकता है कि भारत से साम्यवाद समाप्त हो गया है।

वहीं दूसरी ओर, आतंकवाद की समस्या है–इस्लामिक आतंकवाद। एक तरफ साम्यवाद धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है, वहीं दूसरी ओर इस्लामिक आतंकवाद पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस दिन कश्मीर के मुसलमान हार मान लेंगे, उस दिन भारत से इस्लामिक आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार जेएनयू को नक्सलवाद की "रीड" माना जाता है, उसी तरह कश्मीर को इस्लामिक आतंकवाद की रीड़ माना जाता है।

आगे, नक्सलवादी मोर्चे से ध्यान हटाकर अमित शाह का फोकस इस्लामिक आतंकवाद पर होगा। ऐसा होने पर विपक्ष की कमर भी टूटने लगेगी।

मेरे अंतर्मन के परिवर्तक : बजरंग मुनि

विपिन तिवारी

जीवन यात्रा के पथ पर कभी-कभी ऐसे व्यक्तित्वों का पदार्पण होता है, जिनका सानिध्य व्यक्ति के सोचने, समझने और जीवन जीने की कला को मौलिक रूप से रूपांतरित कर देता है। मेरे जैसे एक किंचित नासमझ और उद्दंड बालक को परिपक्वता, विवेक और शांति का मार्ग प्रशस्त करने वाले ऐसे ही एक पथप्रदर्शक हैं, आदरणीय श्री बजरंग मुनि जी। उनका आगमन जीवन में ठीक उस मोड़ पर हुआ, जब एक सच्चे गुरु और मार्गदर्शन की नितांत आवश्यकता थी।

यह मेरा सौभाग्य था कि सामाजिक सरोकार ही उनसे मिलवाने का माध्यम बने। एक आदर्श गुरु की भांति, उन्होंने दिल्ली से लेकर ऋषिकेश और सुदूर रामानुजगंज से लेकर रायपुर तक, हमें समाजशास्त्र की गहन शिक्षा से दीक्षित किया। श्री मुनि जी न केवल एक प्रतिष्ठित समाज विज्ञानी हैं, बल्कि भारतीय संविधान के एक गहरे अध्येता और संविधानविद भी हैं। उनके मार्गदर्शन में हमने सामाजिक व्यवस्था को समझने, समाज की जटिल संरचना से लेकर संविधान के मूलभूत सिद्धांतों तक, और परिवार की परिभाषाओं से लेकर जीवन की व्यापक अव्यवस्थाओं तक की सूक्ष्म और स्पष्ट समझ विकसित की।

उनके सानिध्य में व्यतीत हुआ प्रत्येक क्षण मेरे लिए एक अमूल्य धरोहर के समान है। मुझे आज भी ऋषिकेश की वह घटना अविस्मरणीय है, जब मैंने किसी के मिथ्या आचरण (झूठ बोलने) पर अपना तीव्र क्रोध प्रकट किया था। तब उन्होंने अत्यंत शांत और सौम्य भाव से प्रतिवाद किया: "गलत बातों पर क्रोधित होना तो सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया है, परंतु वास्तविक विशिष्टता (असामान्य) उस व्यक्ति में है जो उन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बनाए रखे और विवेकपूर्ण समझदारी से काम ले।" इस एक दार्शनिक शिक्षा ने मेरे अंतर्मन को झकझोर दिया और उसी क्षण के बाद से मेरे भीतर का तीव्र क्रोध धीरे-धीरे विलीन होता चला गया, जिसका सकारात्मक प्रभाव मुझे आज जीवन के हर क्षेत्र में अनुभव होता है।

आज, जीवन की व्यक्तिगत दिक्कतें हों या पारिवारिक उलझनें, समाज की जटिल समस्याएँ हों या राजनैतिक व्यवस्था की विद्रूपता, मैं हर चुनौती का समाधान उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं, दृष्टि और वैचारिक स्पष्टता के आलोक में ही खोज पाता हूँ। छत्तीसगढ़ की पावन माटी, रामानुजगंज के उस लाल का मैं आजीवन ऋणी रहूँगा, जिन्होंने मेरे अस्तित्व को यह बहुमूल्य दिशा और अर्थ प्रदान किया। उनके दिखाएं मार्ग पर चलने का भरपूर प्रयास करूंगा। इससे ज्यादा इस महामानव को गुरुदक्षिणा के रूप में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है उनके अवतरण दिवस के शुभ अवसर पर, मैं हृदय की अतल गहराइयों से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएँ अर्पित करता हूँ और ईश्वर से उनके सुदीर्घ और स्वस्थ जीवन की अनवरत प्रार्थना करता हूँ।

बजरंगलाल अग्रवाल उर्फ़ बजरंग मुनि से परिचय मेरा सौभाग्य है,

बहादुर सिंह

तत्वबोध तथा ज्ञानतत्त्व नामक पत्रिकाओं का पठन करने के कारण मैं सम्माननीय बजरंग लाल अग्रवाल को जान सका। अब तो उन्हें हम बजरंग मुनि नाम से जानते हैं क्योंकि अब वानप्रस्थी हैं। पहली बार जब मैं रामानुजगंज गया तब साक्षात्कार हुआ। देश के विभिन्न प्रदेशों से लोग रामानुजगंज शिविर में आए थे। इस शिविर को राष्ट्रीय चिंतन शिविर नाम दिया गया था। इस शिविर में महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा हुआ करती थी। सभी सहभागियों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलता था। मैं कई दिन शिविर में रहा। बजरंग मुनि जी द्वारा आयोजित इस शिविर की सुव्यवस्था से सभी सहभागी संतुष्ट तथा खुश रहे।

शिविर काल में शिक्षा, चुनाव व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, परिवार का महत्व, भ्रष्टाचार, अपराध तथा अपराध निवारण, श्रम शोषण, आर्थिक असमानता आदि विषयों पर तर्कसंगत चर्चा होती थी। कृत्रिम ऊर्जा और महंगाई जैसी ज्वलंत समस्याएँ और उनका समाधान, शराफत और समझदारी, शासन का आम जन के जीवन में अत्यधिक अनावश्यक हस्तक्षेप भी चर्चा के विषय रहे। संविधान अर्थात वर्तमान संविधान की खूबियों और खामियों पर भी खूब चर्चा हुई। संविधान में संशोधन का अधिकार किसे होना चाहिए, यह भी चर्चा का विषय रहा।

मैं विश्वासपूर्वक यह कहता हूँ कि वर्तमान व्यवस्था कष्टपूर्ण है, इसमें बदलाव की आवश्यकता है। देश के अनेकों लोग परिवर्तन तो चाहते हैं, परंतु व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो, इसकी रूपरेखा उनके पास नहीं है। बजरंग जी के मार्गदर्शन में जो मार्ग हमारे साथियों ने सोचा है, यही ठीक भी है और विश्वसनीय है। हम कानून का पालन करते हुए कानून में बदलाव चाहते हैं। जन के लिए उपयोगी नई व्यवस्था पार्लियामेंट के माध्यम से ही आनी चाहिए, अर्थात ऐसा विकास चाहते हैं जैसा हमें पसंद है। सोने के पिंजरे में कैद रहकर स्वयं को खुशहाल समझना भूल है। हमें सुराज नहीं, स्वराज चाहिए, स्वराज होगा तो सुराज तो बना ही लेंगे। हम इतने भावना प्रधान न बन जाएँ कि अपना शोषण कराते रहें।

बजरंग मुनि जी ने अनेकों सद्वाक्यों को प्रचारित किया है, जो वैचारिक क्रांति के दिशा-दर्शक हैं। ऐसा ही एक वाक्य निम्नलिखित है–"**शासन के अधिकार, दायित्व तथा हस्तक्षेप न्यूनतम होने चाहिए।**" इस वाक्य की समीक्षा करते हुए एक शिक्षाप्रद लेख लिखा जा सकता है, जिससे पता चलेगा कि कैसे अनेकों समस्याओं का समाधान इस वाक्य में छुपा हुआ है।

विभिन्न स्थानों पर ज्ञानयज्ञ केंद्र बनाकर हम ज्ञान यज्ञ परिवार के सदस्य उन विचारों का प्रसार करना चाहते हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन में सहायक होंगे। सीमित साधनों के साथ हम गतिशील हैं। हमारा गीत भले ही मंद है, परंतु हम सही दिशा में जा रहे हैं।

अनुभवी समाजशास्त्री सम्माननीय बजरंग मुनि जी ने अपना पूरा जीवन समाज की समस्याओं की खोज और समाधान के उपाय खोजने में लगा दिया है और हम सब उनके अनुगामी भी इसी पक्ष में गतिशील हैं, और रहेंगे।

हमें आशा है कि बुद्धिजीवी लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुटेंगे और सहयोग करेंगे।

लोकस्वराज की ओर एक वैकल्पिक कदम: श्रद्धेय बजरंग मुनि जी की नई शासन-परिकल्पना

: ज्ञानेन्द्र आर्य
सहसंपादक

आजादी के बाद भारत ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति को अपनाया और संविधान का निर्माण किया। पिछले लगभग अस्सी वर्षों से हमारा राजनीतिक ढांचा इसी संविधान के आधार पर चलता आ रहा है। लोकतंत्र, मौलिक अधिकार और समानता जैसी अवधारणाएँ इसी व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई हैं। समर्थक इसे सक्षम और आधुनिक मानते हैं, जबकि आलोचकों के अनुसार इसमें कई मूलभूत कमियाँ हैं। किसी भी व्यवस्था को अंतिम और त्रुटिहीन नहीं कहा जा सकता। बदलती परिस्थितियों, सामाजिक जरूरतों और प्रशासनिक चुनौतियों के अनुरूप समय-समय पर सुधार की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है।

मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान कई दशकों से भारतीय सामाजिक संरचना और व्यवस्था पर काम कर रहा है। संस्था ने जिन प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया है उनमें मौलिक अधिकारों की गलत परिभाषा, परिवार और समाज की उपेक्षा, संविधान सभा का अभाव, संविधान पर संसद का पूर्ण नियंत्रण, अपराध की अस्पष्ट परिभाषा, राज्य का अत्यधिक सामाजिक हस्तक्षेप और तंत्र का समाज पर हावी हो जाना जैसे विषय शामिल हैं। संस्था के मार्गदर्शक श्रद्धेय बजरंग मुनि जी तथा उनके साथियों ने इन समस्याओं का गहन अध्ययन कर एक वैकल्पिक शासन-रूपरेखा तैयार की है। यह रूपरेखा लोकस्वराज और सहभागी लोकतंत्र की भावना पर आधारित है, जहाँ लोक को सर्वोपरि माना गया है और तंत्र को "व्यवस्थापक" की भूमिका तक सीमित किया गया है।

लोक के प्रतिनिधित्व की त्रिसदस्यीय संरचना

मुनि जी की परिकल्पना में लोक की इच्छा तीन संस्थाओं के माध्यम से व्यक्त होती है - संयुक्त सरकार, राष्ट्रपति और संविधान सभा। संयुक्त सरकार में केंद्र और राष्ट्र सरकार दोनों शामिल हैं। यह संरचना लोक को एकल इकाई नहीं, बल्कि तीन संतुलित स्तंभों के रूप में परिभाषित करती है। इससे निर्णय-प्रक्रिया भीड़तंत्र का शिकार नहीं होती और न ही किसी एक संस्था को निरंकुश होने का अवसर मिलता है।

" ...आपातकाल के बाद जेपी आंदोलन हो या 2011 का लोकपाल आंदोलन, दोनों व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सके, क्योंकि हमारा ध्यान व्यक्तियों और सरकारों पर रहा, प्रणाली पर नहीं।..."

(क) राष्ट्रपति

राष्ट्रपति का चुनाव तंत्र सरकार और संविधान सभा के 50-50 प्रतिशत मत से होगा। यह पद केवल औपचारिक नहीं रहेगा, बल्कि विवेकाधिकार संबंधी महत्वपूर्ण शक्तियों से युक्त होगा। राष्ट्रपति लोक की सामूहिक इच्छा का संरक्षक होगा।

(ख) संविधान सभा

नई व्यवस्था में संविधान सभा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके सदस्य निर्दलीय आधार पर, वयस्क मताधिकार से चुने जाएंगे। इन्हें कोई वेतन या कार्यालय नहीं मिलेगा, केवल बैठक-भत्ते की व्यवस्था होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संविधान सभा सत्ता, लाभ या दलगत हितों की नहीं, बल्कि विचार की सभा बने। इसके मुख्य कार्य हैं: 1. संसद द्वारा प्रस्तावित संविधान संशोधनों की समीक्षा 2. उच्च पदों—सांसद, न्यायाधीश, मंत्री, राष्ट्रपति के वेतन-भत्तों पर निर्णय 3. संवैधानिक इकाइयों के बीच उत्पन्न टकरावों का समाधान

संविधान सभा संसद को निरंकुश होने से रोकने का संतुलन-तंत्र बनती है। संसद और संविधान सभा के बीच यदि कोई टकराव उत्पन्न होता है, तो अंतिम निर्णय जनमत-संग्रह द्वारा होगा। यह लोकस्वराज का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है।

(ग) तंत्र (सरकार)

तंत्र या सरकार को व्यवस्थापक की भूमिका दी गई है। आज की व्यवस्था में सरकार धीरे-धीरे समाज पर हावी होने लगी है। यह हस्तक्षेप व्यक्ति और परिवार दोनों की स्वतंत्रता पर प्रभाव डालता है। प्रस्तावित मॉडल में तंत्र को सीमित और स्पष्ट दायित्व दिए गए हैं:

1. **केंद्र सरकार**

केंद्र सरकार का प्रमुख कार्य सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना होगा। लोककल्याणकारी कार्य केंद्र के लिए अनिवार्य नहीं होंगे। वर्तमान व्यवस्था में केंद्र सरकार कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर समाज के आंतरिक मामलों में दखल देती है, जिससे परिवार और स्थानीय निकाय कमजोर होते हैं। नई व्यवस्था इस प्रवृत्ति को रोकती है।

केंद्र सरकार के तीन अंग होंगे—**न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका।**

न्यायपालिका: इसकी सीमा स्पष्ट की जाएगी ताकि यह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। पिछले चार दशकों से न्यायपालिका की सक्रियता ने कई बार संवैधानिक संतुलन को प्रभावित किया है। नई व्यवस्था इस असंतुलन को ठीक करने का प्रयास करती है।

कार्यपालिका: इसके सदस्य विधायिका या संविधान सभा द्वारा चुने जा सकते हैं। वर्तमान विसंगति—जहाँ विधायक स्वयं मंत्री बन जाते हैं दूर की जाएगी।

विधायिका: लोकसभा और संघ सभा (वर्तमान राज्यसभा के समकक्ष) मिलकर विधायिका बनाएंगी। दोनों के अधिकार और संरचना वर्तमान मॉडल से मिलती-जुलती होगी।

2. **राष्ट्र सरकार**

यह राज्य सरकार की तरह कार्य करेगी, पर इसका मुख्य कार्य जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन होगा। केंद्र के बजाय राष्ट्र और स्थानीय निकायों को कल्याण की जिम्मेदारी देना मुनि जी की विकेंद्रीकरण पर आधारित सोच का महत्वपूर्ण भाग है।

स्थानीय निकाय: ग्राम स्वराज का आधार

जनकल्याण का वास्तविक कार्य स्थानीय निकायों के हाथ में होगा। ग्राम सभा को सर्वाधिक अधिकार दिए जाएंगे। शासन की प्रक्रिया शीर्ष से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर चलेगी। व्यक्ति परिवार प्रमुख का चुनाव करेगा; परिवार सभा मिलकर ग्राम सभा बनाएगी; ग्राम सभा ग्राम मंडल का निर्माण करेगी

ग्राम मंडल प्रमंडल सभा का निर्माण करेगा

यह संरचना निर्णयों को स्थानीय स्तर पर ही हल करने की क्षमता देती है। मुनि जी मानते थे कि सामाजिक स्थिरता और लोकतांत्रिक अनुशासन की वास्तविक शिक्षा परिवार और ग्राम सभा में ही संभव है।

परिवार को सामाजिक और राजनीतिक इकाई बनाना

इस परिकल्पना की सबसे मौलिक विशेषता है परिवार को निर्णय की इकाई बनाना। परिवार के निर्माण का आधार संयुक्त संपत्ति और संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर एक साथ रहने के लिए सहमत व्यक्तियों का समूह से होगा। हर परिवार का एक प्रतिनिधि होगा। ग्राम सभा में जाने से पहले प्रतिनिधि अपने परिवार में सहमति बनाएगा। इससे ग्राम सभा संघर्ष का केंद्र नहीं, सहयोग और संवाद का मंच बनती है।

परिवार विभाजन स्वाभाविक रूप से प्रतिनिधित्व बढ़ा देगा, जिससे किसी समूह में शक्ति का केंद्रीकरण नहीं हो पाएगा। व्यक्ति की असहमति भी सम्मानित रहेगी, क्योंकि वह किसी एक व्यक्ति की सहमति से नया परिवार स्थापित कर सकता है।

आपातकाल के बाद जेपी आंदोलन हो या 2011 का लोकपाल आंदोलन, दोनों व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सके, क्योंकि हमारा ध्यान व्यक्तियों और सरकारों पर रहा, प्रणाली पर नहीं। आज आवश्यकता है ऐसी परिकल्पना की जो व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों को संतुलित रखते हुए तंत्र को नियंत्रित करे, न कि तंत्र समाज पर हावी हो।

श्रद्धेय बजरंग मुनि जी द्वारा प्रस्तुत यह वैकल्पिक मॉडल लोकस्वराज की दिशा में एक ठोस और व्यवहारिक कदम है। यह विचार केवल व्यवस्था का पुनर्लेखन नहीं, बल्कि समाज को उसकी जड़ों से पुनर्गठित करने का प्रयास है। आशा है कि यह चिंतन आगे की दिशा तय करने में सहायक होगा।

मार्गदर्शक प्रकाशन

आदरणीय बजरंग मुनि जी और उनके साथियों द्वारा लिखी गई ये सात पुस्तकें उनके दीर्घ चिंतन, शोध और सामाजिक अनुभव का संक्षिप्त लेकिन प्रभावी संग्रह हैं। इनमें नई शासन व्यवस्था, लोकस्वराज, परिवार और समाज की पुनर्स्थापना, मौलिक व्यवस्था, वैचारिक मंथन, नाटक के माध्यम से जनजागरण और व्यवहारिक जीवन दृष्टि जैसे विषय सरल भाषा में प्रस्तुत किए गए हैं। प्रत्येक पुस्तक वर्तमान व्यवस्था की कमियों को समझने और एक बेहतर विकल्प की दिशा में सोच विकसित करने में मदद करती है। मुनि जी और उनके सहयोगियों ने जटिल मुद्दों को आम पाठकों के लिए सुगम रूप में रखा है, जो इस पूरे सेट को विशेष बनाता है। प्रकाशन विभाग यह सात पुस्तकों का संपूर्ण सेट मात्र 100 रुपये में उपलब्ध करा रहा है, जो हर जागरूक नागरिक के लिए उपयोगी और संग्रहणीय है।

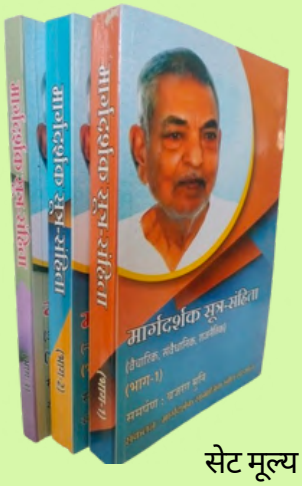

सेट मूल्य ₹100

"मार्गदर्शक सूत्र-संहिता" श्रृंखला के ग्रंथ बजरंग मुनि के सात दशकों के समाज-दर्शन और दार्शनिक शोध से प्राप्त सिद्धांतों का संक्षिप्त रूप हैं। इन दस्तावेज़ों में वैश्विक तथा सामाजिक स्तर पर फैली हुई व्यापक अधोगति का विश्लेषण किया गया है—जहाँ भौतिक प्रगति तीव्र गति से बढ़ रही है, वहीं नैतिक पतन और पारंपरिक परिवार तथा सामुदायिक संरचनाओं का विघटन उसी अनुपात में बढ़ रहा है।

विशेष रूप से भारत को केंद्र में रखते हुए, यह ग्रंथ वर्तमान संविधान की आलोचना करता है क्योंकि संविधान ने राजनेताओं को अनियंत्रित अधिकार प्रदान किए हैं और इसके कारण जनता तथा श्रमिक वर्ग का लगातार शोषण संभव हो पाया है। कई अंशों में गांधी और नेहरू जैसी परस्पर विरोधी राजनीतिक विचारधाराओं पर चर्चा की गई है, साथ ही संघ परिवार जैसी केन्द्रीयकृत संस्थाओं और साम्यवाद तथा समाजवाद की विध्वंसकारी विचारधारा की भी आलोचना की गई है।

इस संपूर्ण विमर्श का मूल समाधान "लोक स्वराज" (जनता का स्व-शासन) को बताया गया है — जिसे राज्यसत्ता के व्यापक विकेन्द्रीकरण और उसके नियंत्रण को स्थानीय समुदायों के हाथों में सौंपकर प्राप्त किया जा जा सकता है।

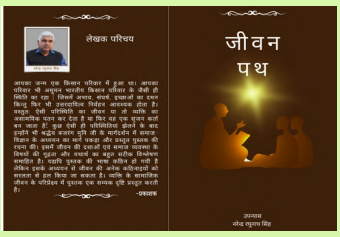

'जीवन पथ' नरेंद्र रघुनाथ सिंह के द्वारा लिखित एक यथार्थवादी उपन्यास है। लेखक ने इस पुस्तक के माध्यम से मनुष्य की जीवन यात्रा, उसके संघर्ष और चुनौतियों को सहज एवं सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास को पढ़कर पाठक को ऐसा लगता है कि इसकी कहानी उसके जीवन से मेल खाती है। यह पुस्तक पाठकों के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करती है, जिससे वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। प्रस्तुत पुस्तक आत्म विकास और प्रेरणा के लिए अति उपयोगी है। निश्चय ही यह पुस्तक पठनीय एवं संग्रहणीय है । मूल्य ₹50

पुस्तकों के लिए संपर्क सूत्र : 7000475949 ; 9630766001 ; 8318621282

ज्ञान यज्ञ परिवार का आदरपूर्ण निमंत्रण ज्ञानोत्सव 2026 में हार्दिक स्वागत है

ज्ञान यज्ञ परिवार पूरे सौहार्द के साथ आप सभी साधकों, चिंतकों और समाज निर्माण में रुचि रखने वाले मित्रों को आगामी **ज्ञानोत्सव 2026** में सादर आमंत्रित करता है। यह वार्षिक उत्सव फरवरी 2026 में आयोजित होगा और रामानुजगंज नगर एक बार फिर ज्ञान, संस्कृति और समाज सशक्तिकरण के महाकुंभ का साक्षी बनेगा।

हाल ही में धर्मशाला सभागार में आयोजित मासिक बैठक में कार्यक्रम की प्रारंभिक रूपरेखा और संरचना प्रस्तुत की गई। संरक्षक समिति का गठन सर्वसम्मति से किया गया, जिसके सदस्यों में अमीर चंद्र प्रसाद, आर. के. पटेल, अशोक जायसवाल, अजय सोनी, नरेश ठाकुर, शिव प्रकाश निगम, कन्हैया लाल, जगदंबा प्रसाद, रमेश अग्रवाल, दिलीप केसरी, कयूम खान, श्रीमती कुसुम अग्रवाल और श्रीमती ज्ञायंती गुप्ता शामिल हैं। समिति का उद्देश्य उत्सव को सुव्यवस्थित, गरिमामय और सहभागी स्वरूप प्रदान करना है।

पांच दिवसीय उत्सव की मुख्य रूपरेखा इस प्रकार है:

- प्रतिदिन प्रातः 8 बजे **वैदिक यज्ञ** से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा।
- पूर्णाहुति के पश्चात 11 बजे तक सभी के लिए **भंडारे** की व्यवस्था रहेगी।
- दोपहर 12 से 2 बजे तक **विचार सभाएं**, **ग्राम सभा**, **संविधान सभा** और **परिवार सभा** पर केंद्रित गोष्ठियाँ आयोजित होंगी, जिनमें समाज, राष्ट्र और परिवार व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक संवाद होगा।
- इसके बाद राष्ट्रीय संत विजय कौशल जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य **आचार्य बलदेव शास्त्री** द्वारा पांच दिवसीय **भागवत चरित्रामृत कथा** का वाचन होगा।
- प्रतिदिन ज्ञान के उच्चतम आयामों को स्पर्श कराते हुए संस्थान के मार्गदर्शक व मौलिक विचारक **बजरंग मुनि जी** ज्ञान-कथा प्रस्तुत करेंगे।
- साथ ही **स्वामी डॉ. त्याग मूर्ति जी** द्वारा वेदांत, अध्यात्म और जीवन-दर्शन पर चिंतन-सत्र आयोजित होगा।
- रात्रि 10 बजे तक चलने वाले भंडारे के साथ प्रत्येक दिवस का समापन होगा।

ज्ञानोत्सव 2026 का उद्देश्य समाज और व्यक्ति दोनों के भीतर ज्ञान, संस्कृति और विचारशीलता की ज्योति को प्रज्वलित करना है।

ज्ञान यज्ञ परिवार आप सभी से आग्रह करता है कि इस उत्सव में अपनी गरिमामय उपस्थिति देकर इसे सफल बनाएं।

स्वराज का पुनर्जागरण: व्यवस्था परिवर्तन और ज्ञान केंद्रों की नई पहल

मां संस्थान का वार्षिक कार्यक्रम "स्वराज का पुनर्जागरण" 29, 30 और 31 मार्च 2025 को ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि इसी मंच पर देशभर में ज्ञान केंद्रों की श्रृंखला शुरू करने का निर्णय लिया गया। सुप्रसिद्ध विचारक बजरंग मुनि जी की उपस्थिति और विभिन्न राज्यों से आए विद्वानों की सहभागिता ने इसे एक प्रभावशाली वैचारिक आयोजन बना दिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केवल स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आग्रह नहीं था, बल्कि स्वदेशी दृष्टिकोण, स्वदेशी मूल्य और स्वदेशी शासन व्यवस्था को स्थापित करने का व्यापक संकल्प था।

मां संस्थान ने समाज में बढ़ती जटिलताओं के बीच समाज वैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों की भूमिका को पुनः केंद्र में लाने की जरूरत रेखांकित की। पिछले वर्ष श्री ब्रजेश राय को "समाज विज्ञानी" के रूप में सम्मानित किया गया था। इस वर्ष यह सम्मान श्री ऋषि द्विवेदी को प्रदान किया गया। समाजशास्त्री वर्ग में पवनजे त्रिपाठी, विपुल आदर्श और वेदराज आहूजा को 40,000 रुपये की राशि के साथ सम्मान दिया गया। समाज चिंतक श्रेणी में जयशंकर कुमार, काशी जी, शीला गुप्ता, हिमांशी गुप्ता और साधना आर्य को 10,000 रुपये की राशि देकर सम्मानित किया गया।

सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था देशभर में ज्ञान केंद्रों की स्थापना। ये केंद्र संवैधानिक, सामाजिक और वैचारिक तीनों स्तरों पर परिवर्तन का आधार बनेंगे। ग्राम सभाओं को सशक्त करने, सामाजिक समन्वय बढ़ाने और तर्कपूर्ण विचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में ये केंद्र आगामी वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

यह कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि स्वराज की भावना को नए रूप में सक्रिय करने का प्रारंभ है। Noida सम्मेलन ने जो नींव रखी है, वही आगे व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन को दिशा देगी।

ज्ञानेन्द्र आर्य, सह संपादक, ज्ञान तत्त्व पाक्षिक

ज़ूम "चर्चा कार्यक्रम" से

दिनांक: 22 11 2025
विषय: राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए 14 प्रश्न और न्यायपालिका के द्वारा दिया गया जवाब

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए 14 प्रश्नों के जवाब दिए। दरअसल अप्रैल में उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए किसी भी विधेयक को मंजूरी देने के लिए समय सीमा तय की थी। इसके अलावे अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को मंजूरी दी थी। तमिलनाडु के राज्यपाल ने विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लिया था। इसी आलोक में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था।

इस निर्णय के आने के बाद देश भर में चर्चा का विषय बना। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से 14 सवाल पूछे जिसके लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ का गठन हुआ। संविधान पीठ ने अपने फैसले की समीक्षा करते हुए कहा कि न्यायपालिका राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयक को मंजूरी देने के लिए समय सीमा तय नहीं कर सकती। इसके अलावा यह भी कहा कि अनुच्छेद 142 का उपयोग कर किसी भी विधेयक को मान्य स्वीकृति का आदेश दे सकता है। कोई भी विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बिना कानून नहीं बन सकता। संविधान पीठ ने 14 प्रश्नों में से 11 के जवाब सर्वसम्मति से दिए। विधेयक के कानून बनने से पहले अदालत विषय-वस्तु की समीक्षा नहीं कर सकती। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति न्यायपालिका से राय मांगने को बंद नहीं है। यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है।

सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय दूरगामी प्रभाव और व्यापक असर डालने वाला है। इसके अलावा विधायिका और न्यायपालिका के बीच कुछ वर्षों से चल रही खींचतान में भी कमी आने की संभावना है।निसंदेह यह निर्णय स्वागत योग्य है।

चर्चा में उपस्थित वक्ताओं ने इस विषय पर अपनी राय रखी। हमारे मार्गदर्शक बजरंग मुनि जी ने अपने विचार रखे और हम सबका मार्गदर्शन किया। चर्चा सार्थक एवं उद्देश्य पूर्ण रही।

दिनांक: 24.11. 2025
विषय: संघ परिवार और राजनीति

संघ परिवार अपनी स्थापना के समय से ही समाज एवं संस्कृति के लिए समर्पित है। संघ अपने सेवा कार्य के लिए जाना जाता है। इसे हिंदू हित का संरक्षक भी माना जाता है। वनवासी कल्याण और सेवा भारती जैसे अनुसांगिक संगठनों के माध्यम से समाज में अपनी पहचान बनायी है।

एक बात ध्यान देने कि यह है कि संघ अर्थ नीति से बिल्कुल उदासीन रहा है। भ्रष्टाचार और मुनाफाखोरी जैसे मुद्दों से दूर रहा है। संघ के पास राष्ट्र के लिए एक मजबूत आर्थिक नीति का सर्वथा अभाव है जो चिंतनीय है।

संघ परिवार का इतिहास देखा जाए तो हम पाते हैं कि संघ ने दूरी बनाकर रखी है। इसने कभी भी राजनीति में सीधा हस्तक्षेप नहीं किया है। अगर गहराई से विचार करें तो हम पाते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से इसका राजनीति में दखल रहा है। आलोचकों का कहना है कि भाजपा संघ के इशारे पर ही काम करती है। इसके अलावा संघ के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल रहे हैं और साथ ही राजनीति के उच्चतम शिखर तक पहुंचे हैं।

संघ परिवार समान नागरिक संहिता की हमेशा से बात करता आया है। समान नागरिक संहिता देश और समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरी ओर संग हिंदू राष्ट्र और घर वापसी की भी बात करता है जो कि सही नहीं है।

एक बात विचारणीय है कि संघ ने हमेशा चरित्र निर्माण पर जोर दिया है। इसके नेता और कार्यकर्ता निसंदेह चरित्रवान और समर्पित होते हैं।

चर्चा सार्थक एवं उद्देश्य पूर्ण रही जिसमें वक्ताओं ने अपने विचार रखे।

एक सामाजिक राजनीतिक विमर्श-

: नरेन्द्र सिंह

भारत में साम्यवाद का विचार कुछ नेताओं तथा तथाकथित बुद्धिजीवियों की रोजी-रोटी का जरिया तो बन सकता है लेकिन सामाजिक व्यवस्था का सिद्धान्त कभी नहीं बन सकता। इसका कारण यह है कि भारत का आम जनमानस समाज व्यवस्था में राज्य की गुलामी को स्वीकार नहीं करता है; जबकि साम्यवादी व्यवस्था चक्र व्यक्ति को समाज की मूल इकाई न मानकर राज्य की एक कार्यपालक इकाई के रूप में स्वीकार करता है।आम भारतीय व्यक्ति, राज्य तथा समाज व्यवस्था को दो अलग-अलग इकाइयों के रूप में स्वीकार करता है। यह भारत की समाज व्यवस्था का जैविक गुण है।भारत में जब कभी भी राज्य व्यवस्था ने यहाँ की समाज व्यवस्था में दखल दिया है तभी समाज ने उस राज्य व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक दिया है। इस विषय में समाज का सूक्ष्म सर्वेक्षण करते हैं तो उक्त तथ्य हमारे सामने आते हैं कि मुगल सल्तनत के अन्तिम ताकतवर बादशाह औरंगजेब ने भारत की समाज व्यवस्था में दखल दिया तो मुगल सल्तनत औरंगजेब के काल में ही पतन की ओर अग्रसर हो गई। क्योंकि तब भारतीय समुदाय ने देश में मराठा शक्ति को एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में स्वीकार किया। इस विषय का दूसरा उदाहरण भारत में ब्रिटिश राज्य का पतन है। अंग्रेजों ने जब भारत की समाज व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करके अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने की कोशिश की तो गान्धी के नेतृत्व में भारतीय समाज ने ब्रिटिश राज्य का पतन कर दिया।आजादी के बाद इस विषय का अगला उदाहरण भारतीय समाज व्यवस्था के साथ साम्यवाद द्वारा किया जाने वाला प्रयोग रहा है।

मुझे साम्यवाद के बारे में यह कहने में कोई हिचक या चिन्ता नहीं हो रही है कि साम्यवाद दुनिया की वह निकृष्टतम विचारधारा है जो नितान्त झूठ के आधार पर ऐसे गुलाम राज्य की स्थापना करती है जिसमें समाज का दबा कुचला वर्ग राज्य व्यवस्था का निर्माता एवं संचालन कर्ता तो कहलाता है, लेकिन राज्य की स्थापना के बाद साम्यवादियों का सत्ता अधिष्ठान समाज के इन दबे कुचले लोगों पर ही अपनी केन्द्रीयकृत सत्ता का चाबुक चलाता है और सुविधाओं की आड़ में इनके जीवन की मौलिक स्वतन्त्रता छीन लेता है। वर्तमान दुनिया में चीन तथा उत्तर कोरिया इस विषय के उदाहरण हैं। भारत में साम्यवादी विचारधारा के संरक्षण में पनपे नक्सलवाद ने भारत के सत्ता अधिष्ठान पर कब्जे के हर सम्भव प्रयास किए। देश में कई स्थानों पर स्थापित व्यवस्था के समानान्तर सरकारें बनाई, अपनी तथाकथित व्यवस्थाएं लागू करने की कोशिश की! लेकिन इस विषय का विरोध भारत के सत्ता अधिष्ठान से भी अधिक यहाँ की समाज व्यवस्था ने किया। क्योंकि भारत का समाज इन सत्ता पिपासुओं के समाज विरोधी स्वभाव को स्वीकार ही नहीं कर पाया। भारत में नक्सलवाद के रूप में साम्यवाद का हिंसक सत्ता संघर्ष अब लगभग पतन के करीब है।

इस सर्वेक्षण में यह तथ्य भी उभरकर सामने आता है कि भारत के साम्यवादी रणनीतिकारों ने इस स्थिति को कुछ पहले ही ही परख लिया था कि भारत के आम जनमानस को उसकी सामाजिक व्यवस्था के सिद्धान्त के विरुद्ध किसी भी सत्ता संघर्ष में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः इसका कारण तो भारतीयों का स्वतन्त्र मनोविज्ञान ही है। अपने इस उद्देश्य में सफलता के लिए भारत के साम्यवादियों ने इस्लामिक संगठनवाद के साथ गठजोड़ का प्रयोग शुरू किया।

अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि यदि इस्लाम व साम्यवाद का गठजोड़ भारत की सत्ता पर कब्जा कर भी ले तो इनमें भारत के सत्ता अधिष्ठान की बागडोर कौन सा संगठन संभालेगा? क्योंकि संगठनवाद कभी भी लोकतान्त्रिक विचार नहीं होता है। संगठनवादी मानस अपने दायरे के बाहर की व्यवस्था को हमेशा अनुचित मानता है तथा दुनिया का प्रत्येक संगठन स्वयं को एक पूर्ण इकाई मानता है। इस कारण से कोई भी संगठन अपने निर्माण के सिद्धान्त में अनुसंधान और विकास के मानक का पालन नहीं कर पाता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो जहाँ साम्यवादी विचार अपनी राज्य व्यवस्था के सिद्धान्त को ही समाज का पूरक रूप मानता है तो दूसरी ओर इस्लाम अपनी धर्म व्यवस्था के सिवा दुनिया की किसी अन्य व्यवस्था पर यकीन ही नही करता! यह स्थिति तो एक म्यान में दो तलवारों के रखने के जैसी है। इस परिस्थिति में इस विश्लेषण के फलस्वरूप यह एक ओर प्रश्न पैदा होता है कि क्या भारत के इस्लाम तथा साम्यवाद के अनुयाई भारतीय समाज का अंग नहीं है?

इस विषय में मेरा मत यह है कि भारत के राज्य क्षेत्र में इसकी व्यवस्था के अनुसार रहने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय समाज व्यवस्था का अंग है। लेकिन कोई भी व्यक्ति समाज पर अपनी साम्प्रदायिक व्यवस्था को नहीं थोप सकता है, वह परिस्थिति अनुसार अपनी साम्प्रदायिक व्यवस्था का महत्व समाज के अस्तित्व से छोटा मानने के लिए बाध्य होता है। क्योंकि मानव समुदाय की समाज व्यवस्था का सन्तुलन बनाए रखने का यह सिद्धान्त है कि समाज की प्रत्येक छोटी इकाई, बड़ी इकाई की पूरक होती है, न कि वह स्वयं में समाज व्यवस्था होती है। दुनिया का कोई भी संगठनात्मक धर्म या राज्य व्यवस्था का सिद्धान्त समाज की इकाई तो हो सकता है लेकिन वह स्वयं में स्वतन्त्र समाज व्यवस्था नहीं होता है! वस्तुतः समाज की इस दुर्दशा का उन्मूलन तभी हो सकता है जब समाज के सभी समुदाय अपनी उन परम्परागत तथा रूढ व्यवस्थाओं का परित्याग कर दें जो विभिन्न परिस्थितियों में समाज की समरूपता के विरुद्ध रहती हैं और यह कहते हैं कि हम अपनी ईश्वरकृत व्यवस्था को नहीं बदल सकते! दरअसल, व्यवस्था का दर्शन यथार्थ के सिद्धान्त की अवहेलना नही कर सकता है।

इस विषय पर दूसरे दृष्टिकोण से नजर डालें तो आजादी के बाद भारत के लोकतान्त्रिक सत्ता संघर्ष में कांग्रेस पार्टी ने गान्धी विचार के आधार पर भारत की व्यवस्था चलाने के विरुद्ध साम्यवाद को भारत के नीति निर्धारण का जिम्मा दे दिया और इसका परिणाम यह आया कि भारत की समाज व्यवस्था ने दोनों को ही न केवल सत्ता अधिष्ठान से धक्के देकर बाहर निकाल दिया बल्कि अपने फैलाव में इनकी बुरी गत भी कर दी। अर्थात भारत की समाज व्यवस्था ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि यदि भारत की समाज व्यवस्था के साथ सत्ता अधिष्ठान छेड़छाड़ करेगा तो निश्चित रूप से यह ऐसे कारकों के अस्तित्व का पतन

कर देगी। मैं कई बार भारत की राजनीतिक दुर्दशा को देखकर यह विचार भी करता हूँ कि भारत का साम्यवादी बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ के कान्ग्रेस तथा अन्य समाजवादी राजनीतिक वर्ग के साथ मिलकर भारत के सामाजिक मानस में इतना बदलाव लाना चाहते हैं कि भारत से इसकी परम्परागत सामाजिक व्यवस्था का पतन हो जाये; ताकि भारत के परिवेश से दक्षिणपन्थी राजनीति का अध्याय ही समाप्त हो जाए।

भारत के बाहर के 'व्यक्ति समाज' के विषय में जब मैं ऐसी घटनाओं का अध्ययन करता हूँ तो पाता हूँ कि यदि किसी और सभ्यता में कोई विचार या व्यक्ति जब उनकी सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करता है तो स्थानीय लोग भी उस नई व्यवस्था के हिंसक प्रतिरोध में लग जाते हैं; लेकिन भारत में स्थिति इसके उलट है। भारतीय जनमानस ऐसे नए सत्ता अधिष्ठानों का हिंसक प्रतिरोध नही करता; लेकिन सामाजिक स्तर पर इन्हें स्वीकार भी नहीं करता अथवा अपनी समाज व्यवस्था में ऐसे कारकों का सामाजिक बहिष्कार कर देता है। माना कि यह सिद्धान्त बहुत जल्दी में कोई परिणाम नहीं देता है लेकिन इतिहास हमें बताता है कि भारतीयों का यह प्रयास ऐसे सत्ता अधिष्ठानों का अपनी बहिष्कार की नीति के द्वारा सामाजिक अस्तित्व ही समाप्त कर देता है।

इस विषय में कोरोना संकट काल की स्थिति भी ध्यान देने योग्य हैं। उस समय भारतीय समाज व्यवस्था का यह प्रयोग एक और जहाँ साम्यवाद के विरुद्ध और मुखर हुआ था वहीं भारतीय जनमानस अपनी इस नीति का प्रयोग मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध करने के लिए भी तत्पर दिखाई दे रहा था। कोरोना संकट में मुस्लिम समुदाय के कई धड़ों ने जिस प्रकार समाज के विरुद्ध आचरण करने का प्रयास किया; वह समाज के विरुद्ध एक षड्यन्त्र ही दिखाई देता है। ऐसे में भारतीय राज्य व्यवस्था यह भले ही कहे कि भारत में किसी समुदाय विशेष के सामाजिक बहिष्कार पर ऐसा करने वाले लोगों को दण्डित किया जाएगा; तो क्या भारतीयों का हजारों वर्षों का जैविक अभ्यास ऐसा करने से मान जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा हो पाएगा! और यदि सरकारें, जनमानस को ऐसा करने से रोकेंगी तो समाज में विद्वेष ही पनपेगा। इस समस्या का सरल समाधान समाज के सभी वर्गों द्वारा सामाजिकस्तर पर समन्वय तथा सहजीवन के सिद्धान्त को आचरण में स्वीकार करने से हो पाएगा। इस प्रयास की शुरुआत में मुस्लिम समुदाय अपने उन लोगों का बहिष्कार करे जिन्होंने समाज में कोरोना संकट बढ़ाने के प्रयास किए हैं, जैसा कि कई जगहों पर हिंदुओं ने अपने समुदाय के लोगों के साथ किया था।

भारत में साम्यवादियों को अपना अस्तित्व जीवित रखने के लिए यह दृष्टिकोण स्वीकार करना ही होगा कि क्या वे यह कल्पना कर सकते हैं कि जिस प्रकार ये लोग अन्य व्यवस्थाओं से अपने लिए मूल अधिकार की मांग करते हैं, क्या अपनी व्यवस्था में भी राज्य के अति शक्तिशाली केन्द्रीयकृत स्वरूप का परित्याग करके व्यक्ति के मूल अधिकार के विषय को स्वीकार कर पाएंगे? यदि नहीं तो यह निश्चित है कि वर्ग तुष्टीकरण की राजनीति उनके पतन का कारण बन जाएगी और ये लोग समाज के सहिष्णु समुदाय का निरर्थक विरोध करते रह जाएंगे। भारत के राजनीतिक विपक्ष की सामाजिक दुर्दशा भी इसी कारण से हो रही है कि यह वर्ग तुष्टीकरण को सामाजिक दृष्टिकोण मान बैठा है। जिस दिन भी भारत का राजनीतिक विपक्ष अपने इस विचार को त्याग देगा यह देश के दक्षिणपन्थी सत्ता समुदाय के सामने चुनौती बन जाएगा।

विचार से व्यवस्था तक: श्रद्धेय बजरंग मुनि जी का जीवन और चिंतन

बृजेश राय

श्रद्धेय बजरंग मुनि जी का जन्म 25 दिसंबर 1939 को छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज शहर में हुआ। उस समय देश की स्वतंत्रता के लिये प्रबुद्ध विचारक अपने स्तर पर प्रयासरत थे। यद्यपि मुनि जी कम आयु के थे किंतु उन पर विचारकों का गहरा प्रभाव पड़ा और अल्प आयु में ही उन्होंने चिंतन प्रारंभ कर दिया। यही चिंतन उन्हें एक गहन विचारक और समाजशास्त्री की श्रेणी में लाया। 1955 में 17 वर्ष की आयु में मुनि जी ने व्यवस्थाओं पर विचार आरंभ किया और तब से यह प्रक्रिया अनवरत जारी है। समाज, राज्य, धर्म और लोकतंत्र सहित अनेक परिभाषाओं पर नए निष्कर्ष प्रस्तुत किए। उनका मानना है कि कोई निष्कर्ष अंतिम नहीं होता जब तक उसकी तर्क के आधार पर जांच न हो। 25 दिसंबर 2020 को उन्होंने संन्यास लेकर कार्यभार मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान को सौंप दिया।

3 जनवरी 2021 को रायपुर में पहली बार उनसे मिलने का अवसर मिला। आरंभ में संस्था के उद्देश्य ज्ञात नहीं थे, पर चर्चा के बाद यह स्पष्ट हुआ कि मुनि जी समाज वैज्ञानिक हैं और सामाजिक समस्याओं के समाधान की दृष्टि विकसित करते हैं। आर्य समाज से जुड़े होने के कारण वर्ण व्यवस्था, अधिकारों की असमानता आदि विषयों पर पहले से समझ थी, किंतु मुनि जी ने इन विषयों को विस्तृत रूप में स्पष्ट किया और यह सामने आया कि वे लोकतंत्र के स्थान पर सहभागी लोकस्वराज्य के समर्थक हैं।

मुनि जी ने धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा वैश्विक समस्याओं पर विचार कर एक ऐसी व्यवस्था के निर्माण पर बल दिया जिसमें समाज की सहभागिता हो और वह अपनी व्यवस्था स्वयं खड़ी कर सके। उन्होंने व्यक्ति, गांव, समाज और राज्य के अधिकारों और सीमाओं पर पुनर्विचार किया। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संतुलन रखने हेतु एक संविधान सभा का विचार भी प्रस्तुत किया।

विचार अकेला व्यक्ति कर सकता है किंतु मंथन के लिए विभिन्न विचार आवश्यक हैं। इस कारण मुनि जी विपरीत विचारधारा वालों को एक मंच पर लाकर तर्क आधारित चर्चा को बढ़ावा देते हैं। भारत में विचार मंथन की कमी के कारण विदेशी विचारों का प्रभाव बढ़ा, इसलिए उन्होंने स्वतंत्र चिंतन वाला समूह तैयार किया। मेरी दृष्टि में चरित्र परिवर्तन पर तो अनेक प्रयास हुए, पर व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान ही सक्रिय दिखाई देता है।

मुनि जी का विचार है कि कोई भी व्यवस्था स्थायी नहीं होती। परिस्थितियों के अनुसार नई व्यवस्था बननी चाहिए और सिद्धांत तथा व्यवहार के बीच की दूरी न्यूनतम हो, तभी व्यवस्था स्वस्थ रह सकती है।

MARGDARSHAK
मार्गदर्शक
"शराफत से समझदारी की ओर"

आमंत्रण पत्र

ज्ञानोत्सव 2026

प्रिय साथियों,

हम सभी पिछले कई वर्षों से **सुप्रसिद्ध मौलिक विचारक बजरंग मुनि जी** के नेतृत्व में समाज सशक्तीकरण के कार्य में सक्रिय रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने कर्म-सन्यास की घोषणा कर यह जिम्मेदारी हम सब पर सौंपी थी।

अब हम माँ संस्थान के मार्गदर्शन में व्यवस्था परिवर्तन के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं।

- दिल्ली कार्यालय से आ. नरेन्द्र सिंह जी लोकस्वराज्य के लिए जनजागरण अभियान चला रहे हैं।
- रामानुजगंज कार्यालय में मोहन गुप्ता जी समाज सशक्तिकरण के कार्यों का संचालन कर रहे हैं।
- ब्रिजेश रॉय जी प्रतिदिन ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से स्वतंत्र विचारकों की टीम तैयार कर रहे हैं।
- बहादुर सिंह जी देशभर में भ्रमण कर सामाजिक जागरण का कार्य कर रहे हैं।

"स्वराज के पुनर्जागरण" (दिल्ली, मार्च 2025) में लिए गए निर्णयों की समीक्षा और भविष्य की दिशा तय करने के लिए 12 से 16 फरवरी 2026 पाँच दिवसीय शिविर आयोजित किया जा रहा है।

आपसे सादर निवेदन है कि इस आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इसे सफल बनाएं।

विचार, समन्वय एवं परिवर्तन के तीर्थ
ज्ञान केन्द्र

संयोजक -मोहन गुप्ता :8959499831
सह संयोजक -रबीन बिश्वास :9630766001

MARGDARSHAK MEDIA
MARGDARSHAK.INFO
SANVIDHANSABHA.INFO
ज्ञान तत्व पाक्षिक पत्रिका
MARGDARSHAK PRAKASHAN

ज्ञानयज्ञ परिवार रामानुजगंज
margdarshak.info

हम मोड़ने चले हैं युग की प्रचण्ड धारा, उठते हैं, गिरते–गिरते हे साथी दो सहारा...

ज्ञानोत्सव 2026

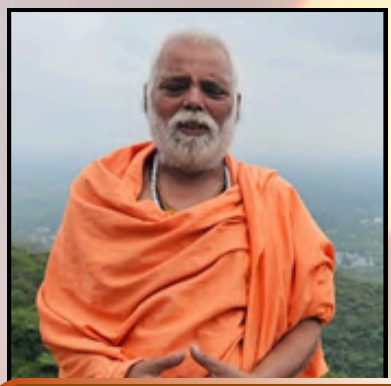

स्वामी डॉ. त्यागमूर्ति जी के द्वारा आध्यात्मिकता से सामाजिकता पर उपदेश

कार्यक्रम का उद्देश्य-

यह "ज्ञानोत्सव" देशभर में ग्रामीण और वार्ड स्तर पर ज्ञान केंद्रों की स्थापना, नियमन और सक्रियता पर विचार-विमर्श के लिए आयोजित किया जा रहा है।

साथ ही, संवैधानिक विषयों पर गंभीर विचार मंथन करने वाली संविधान सभा नामक इकाई की योजना, उसकी रचना और संचालन व्यवस्था पर भी चर्चा होगी। इसी सिलसिले में संविधान सभा की दूसरी एवं भौतिक उपस्थिति वाली बैठक भी संपन्न की जाएगी।

इस अवसर पर आदर्श परिवार व्यवस्था के मूर्तिमान उदाहरण आदरणीय बजरंग मुनि जी की 70वीं वैवाहिक वर्षगांठ का विशेष समारोह भी आयोजित किया जाएगा।

5

12 से16 फरवरी 2026

आमंत्रण धर्मशाला
SBI Road रामानुजगंज
छ.ग. 497220

मुख्य कार्यक्रम
दिन भर चलने वाला कार्यक्रम, प्रातः 8:00 यज्ञ से शुरू हो विचार-मंथन, भागवत कथा, वेदांत दर्शन, ज्ञान कथा और फिल्म के साथ समाप्त होगी।

प्रख्यात कथा वाचक संत
विजय कौशल जी महराज
के कृपापात्र शिष्य
आचार्य बलदेव कृष्ण शास्त्री
के मुखारविंद से
भागवत चरितामृत कथा

भंडारा प्रातः 11:00 से रात्रि 10:00 तक

इस ज्ञानोत्सव का उद्देश्य है -

"विचार, संतुलन और जीवन मूल्यों के माध्यम से लोकस्वराज्य की दिशा में एक ठोस कदम।"

ज्ञानयज्ञ परिवार रामानुजगंज

पंजीकृत पाक्षिक
पंजीयन संख्या : 68939/98
डाक पंजीयन क्रमांक -048 / SARGUJA DN/ 2024-26

प्रति,
श्री/श्रीमती .....
.....
.....
.....

संदेश

समाज ही सर्वोच्च है। धर्म उसका सहायक है और राज्य उसका रक्षक। राज्य का काम न्याय और सुरक्षा तक सीमित रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा दखल भ्रष्टाचार, जातीय तनाव और सांप्रदायिकता बढ़ाता है। आज परिवार व्यवस्था लगातार कमजोर पड़ रही है, इसलिए किसी भी बड़े समाधान की शुरुआत परिवार और समाज को फिर से मजबूत, स्पष्ट और अधिकार संपन्न बनाने से ही हो सकती है।

पत्र व्यवहार का पता
बजरंग लाल अग्रवाल पोस्ट बाक्स 15, रायपुर (छ.ग.) 492021
website : margdarshak.info
प्रकाशक, संपादक व स्वामी - बजरंगलाल
9617079344
mail : Support@margdarshak.info

मुख्य कार्यालय-
ज्ञानयज्ञ परिवार आश्रम
रामानुजगंज छत्तीसगढ़ 497220
8318621282, 9630766001

लोक स्वराज अभियान
303 कृष्णा शिप्रा अजूरा अपार्टमेंट कौशांबी
गाजियाबाद 201012
9325683604, 9012432074

मुद्रक : माया प्रेस रामानुजगंज, सरगुजा (छ.ग.)

हम आपको ज्ञान तत्व भेजते रहे हैं, लेकिन मुनि जी के रिटायरमेंट के बाद हमारी कुछ आर्थिक मजबूरियाँ भी आ गई हैं। हम लोगों का काम भी बढ़ रहा है और खर्च भी बढ़ रहा है। इन परिस्थितियों में हम लोगों ने तय किया है कि जो लोग कम से कम वर्ष में ₹250 संस्था को देंगे, उनके निवेदन पर ही हम उन्हें ज्ञान तत्व पाक्षिक पत्रिका की छपी हुई प्रति पोस्ट से भेजेंगे।

अब तक ऐसे 742 आवेदन हमें मिल चुके हैं, जिन्होंने या तो इस तरह की मदद की है या ऐसी सहमति व्यक्त की है। हमने यह भी तय किया है कि यदि कोई अलग से व्हाट्सएप से कॉपी चाहेगा तो हम उन्हें ₹50 वार्षिक पर भेजते रहेंगे। अन्य सबके लिए वेबसाइट पर निशुल्क उपलब्ध रहेगी ही।

इस तरह आप कुछ नए नाम भी जोड़ सकते हैं। हम आपसे यह भी मदद चाहते हैं कि आप ज्ञान तत्व में जो भी पढ़ते हैं, उस पर अपने प्रश्न, विचार या प्रतिक्रियाएँ व्हाट्सएप के द्वारा, मोबाइल फोन के द्वारा अथवा पत्र के द्वारा हमें भेजने में मदद करें। इससे हमें आपसे उत्तर देने और चर्चा करने में सुविधा होगी तथा हमें अपनी बातों में सुधार करने का भी अवसर मिलेगा।